

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जुलाई-अगस्त, 2010 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2010

तारांकित प्रश्नोत्तर

आरंग विधान सभा क्षेत्रांतर्गत बी.पी.एल. कार्डधारियों को खाद्यान्न का प्रदाय

1. (*क्र. 417) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 1 व 2 रुपये प्रतिकिलो के दर से कितने हितग्राहियों को चावल प्रदाय किया जाता है ? (ख) बी.पी.एल. परिवार को चावल के अतिरिक्त अन्य कौन-कौन सी सामग्री प्रदाय की जाती है ? (ग) आरंग नगर पंचायत शहरी क्षेत्र में कितने बी.पी.एल. कार्डधारियों को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत खाद्यान्न दिया जा रहा है ? शहरी एवं ग्रामीण दोनों की संख्या अलग-अलग बतावें.

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 5577 हितग्राहियों को 1/- प्रतिकिलो एवं 33942 हितग्राहियों को 2/- प्रतिकिलो की दर से चावल प्रदाय किया जा रहा है. (ख) बी.पी.एल. परिवार को चावल के अतिरिक्त गेहूं, शक्कर, केरोसिन एवं अमृत नमक प्रदाय किया जाता है. (ग) आरंग नगर पंचायत के शहरी क्षेत्र में 2035 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत खाद्यान्न दिया जा रहा है.

महासमुंद जिले में बी.पी.एल. राशन कार्डों का सत्यापन

2. (*क्र. 591) **श्री अग्नि चंद्राकर** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में कितने बी.पी.एल. राशन कार्डों का सत्यापन किया गया है कितने शेष है ? (ख) सत्यापन पश्चात् कितने राशन कार्डों को निरस्त किया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) महासमुंद जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में प्रचलित राशनकार्ड के नवीनीकरण की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है. नवीनीकरण का कार्य समाप्त होने के उपरान्त सत्यापित राशनकार्डों की संख्या ज्ञात हो सकेगी. (ख) राशनकार्ड नवीनीकरण की कार्यवाही प्रचलन में है. अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

भाटापारा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत हितग्राहियों को रियायती दर पर खाद्यान्न का प्रदाय

3. (*क्र. 154) **श्री चैतराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 से दिनांक 8-7-10 तक की स्थिति में मुख्यमंत्री अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना के तहत कितने-कितने हितग्राहियों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ? (ख) क्या पूर्व में उल्लेखित योजनाओं के हितग्राहियों में कुछ हितग्राहियों के नाम हटाये गये हैं ? यदि हां तो, विकासखंडवार संख्यात्मक जानकारी दें.

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 2008-09 से दिनांक 08-07-2010 तक की स्थिति में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत 26615, अन्त्योदय योजना के तहत 7249 एवं अन्नपूर्णा योजना के 295 हितग्राहियों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. (ख) उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत जारी राशन कार्डों में से मृत्यु, पलायन तथा डबल राशन कार्ड के कारण भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र में 313, भाटापारा नगरीय क्षेत्र में 3204 एवं नगरीय क्षेत्र सिमगा में 281 हितग्राहियों के नाम हटाये गये हैं.

जिला जांजगीर-चांपा में नगरीय निकायों को गौरव पथ निर्माण हेतु प्रदत्त राशि

4. (*क्र. 296) **महंत रामसुन्दर दास** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में कुल कितने नगरपालिका एवं नगर पंचायत संचालित हैं ? नाम सहित पृथक-पृथक बतायें. (ख) क्या शासन द्वारा उक्त समस्त नगरीय निकायों में गौरव पथ निर्माण हेतु राशि प्रदान की गयी है ? यदि हां तो, कितनी-कितनी, किन-किन को ? गौरव पथ निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है ? कितने पूर्ण हैं ? कितने अपूर्ण हैं ? कितने में कार्य प्रारंभ ही नहीं हो पाया है ? निकायों के नाम सहित पृथक-पृथक बतायें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में 04 नगर पालिका तथा 11 नगर पंचायत संचालित है. नगर पालिका क्रमशः - जांजगीर - नैला, चांपा, सक्ती, अकलतरा तथा नगर पंचायत क्रमशः - नयाबाराद्वार, बलौदा, शिवरीनारायण, अड़भार, खरौद, जैजैपुर, डभरा, चन्द्रपुर, सारागांव, नवागढ़, राहौद है. (ख) जी नहीं. केवल नगर पालिका - जांजगीर-नैला, चांपा, सक्ती, अकलतरा एवं नगर पंचायत-नयाबाराद्वार, बलौदा, खरौद, शिवरीनारायण, अड़भार में गौरव पथ निर्माण हेतु राशि प्रदान की गयी है शेष 06 नवगठित नगर पंचायत क्रमशः जैजैपुर, डभरा, चन्द्रपुर, सारागांव, नवागढ़, राहौद को राशि प्रदाय नहीं की गई है. प्रदाय की गई राशि एवं कार्य की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है.

कुरूद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बुनकर सहकारी समितियों को प्रदत्त अनुदान

5. (*क्र. 359) **श्री लेखराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुरूद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बुनकर सहकारी समितियों की संख्या कितनी है ? कितनी समिति क्रियाशील एवं कितनी अक्रियाशील है ? (ख) वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 से 30-06-2010 तक की स्थिति में बुनकर सहकारी समितियों को कितना अनुदान दिया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) कुरूद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 01 बुनकर सहकारी समिति है जो क्रियाशील है. (ख) वर्ष 2008-09 में राशि रुपये 5,74,674/- एवं 2009-10 में 30-06-2010 तक रुपये 1,78,000/- इस प्रकार कुल राशि रुपये 7,52,674/- अक्षरी (सात लाख बावन हजार छः सौ चौहत्तर रुपये) उक्त समिति को अनुदान दिया गया.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वसहायता समूहों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के संचालन हेतु लंबित आवेदन

6. (*क्र. 18) **श्री सौरभ सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कौन-कौन सी उचित मूल्य की दुकान कहां-कहां पर किस-किस स्वसहायता समूह को कितनी अवधि के लिए दी गयी है ? कहां-कहां के कौन-कौन से समूहों का उचित मूल्य की दुकान संचालन करने का आवेदन लंबित है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत महिला स्वसहायता समूहों द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. इन दुकानों के संचालन हेतु समय-सीमा तय नहीं की गई है. अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत परसाही की दुकान संचालन हेतु सतनाम महिला स्वसहायता समूह, बम्हनी द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन लंबित है.

विकासखण्ड पलारी, कसडोल एवं बलौदाबाजार के बी.पी.एल. सूची के हितग्राहियों के कम्प्यूटराईज्ड कार्ड का प्रदाय

7. (*क्र. 585) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विकासखण्ड पलारी, कसडोल एवं बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन अन्तर्गत बी.पी.एल. सूची में दर्ज लोगों के कम्प्यूटराईज्ड कार्ड बन गये हैं एवं हितग्राहियों को कार्ड मिल गये हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : जी हां. विकासखंड पलारी, कसडोल एवं बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन अंतर्गत बी.पी.एल. सूची में दर्ज सभी पात्र हितग्राहियों के राशनकार्ड बनाये जा चुके हैं.

जिला रायपुर, दुर्ग एवं राजनांदगांव के नगर पंचायतों को विकास योजनाओं के तहत आवंटित राशि

8. (*क्र. 564) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के 10 जुलाई 2010 तक रायपुर, दुर्ग एवं राजनांदगांव जिला अंतर्गत आने वाले नगर पंचायतों में विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की गई ? योजनावार एवं वर्षवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) महासमुंद जिला के बागबाहरा नगर पंचायत को विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वर्ष 2010-11 में कितनी राशि दिये जाने का लक्ष्य है ? योजनावार जानकारी प्रदान करें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के 10 जुलाई, 2010 तक रायपुर, दुर्ग एवं राजनांदगांव जिले अंतर्गत आने वाले नगर पंचायतों में विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रदाय की गई योजनावार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) अन्य निकायों के समान महासमुंद जिले की नगर पंचायत बागबाहरा के लिये भी विभिन्न विकास योजनाओं के लिए अनुदान आवंटन हेतु कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं है.

जिला जांजगीर-चांपा में उद्योग स्थापना हेतु प्रदत्त अनुमति

9. (*क्र. 400) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत 1-1-2008 के बाद से आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा उद्योग लगाने हेतु किन-किन व्यक्तियों को अनुमति प्रदान की गई है ? नाम, पता सहित जानकारी दें. (ख) प्रश्नांक "क" में उल्लेखित अनुमति से कितनी-कितनी राजस्व एवं वन भूमि अधिग्रहित की जाना प्रस्तावित है ? विकासखण्डवार जानकारी दें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" पर दर्शित है. (ख) जांजगीर-चांपा जिले में दिनांक 01-01-2008 के बाद से उद्योग की स्थापना हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग से अनुमति प्राप्त 03 उद्योगों के संबंध में 654.685 हेक्टेयर राजस्व (शासकीय) भूमि एवं 78.661 हेक्टेयर वन भूमि अधिग्रहण हस्तांतरण के प्रस्ताव है. विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "दो" पर दर्शित है.

अवैध जमाखोरी के खिलाफ फर्मों/गोदाम में मारे गए छापे तथा दोषियों पर कार्यवाही

10. (*क्र. 514) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाद्य विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 में 30 जून, 2010 तक खाद्य पदार्थों की अवैध जमाखोरी के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग एवं धमतरी जिले के किन-किन स्थानों के किस-किस फर्मों/गोदामों में छापे मारे गये ? (ख) मारे गये छापे के दौरान किन-किन गोदामों/फर्मों से किस-किस खाद्यान्न एवं अन्य जनउपयोगी वस्तुओं की कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि के अवैध भण्डारण पाये गये ? (ग) छापे के दौरान प्राप्त अवैध भण्डारण की सामग्रियों को राजसात करने एवं दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? जिलेवार जानकारी दें.

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में खाद्य पदार्थों की अवैध जमाखोरी के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग एवं धमतरी जिले के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मारे गये छापे की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) एवं (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

जिला राजनांदगांव में बी.पी.एल. तथा अंत्योदय योजना के पंजीकृत हितग्राही

11. (*क्र. 517) **श्री भोलाराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले एवं अंत्योदय योजना के तहत कितने हितग्राही दिनांक 8-7-10 तक की स्थिति में पंजीकृत हैं ? कितनों का पंजीयन शेष है ? विकासखंडवार पृथक-पृथक जानकारी प्रदान करें ? (ख) दिनांक 8-7-10 की स्थिति में कितने बी.पी.एल./अंत्योदय कार्डों को निरस्त किया गया है ? विकासखंडवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) राजनांदगांव जिले में गरीब परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत 161818 एवं अंत्योदय योजना के अंतर्गत 33768 कुल 195586 हितग्राहियों को राशनकार्ड प्रदाय किया गया है.

वर्तमान में बी.पी.एल. अथवा अन्त्योदय योजना के किसी भी पात्र हितग्राही के राशनकार्ड जारी करने हेतु शेष नहीं है। राशनकार्डों की विकासखंडवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है। (ख) जिले में दिनांक 01-08-2009 से 08-07-2010 तक की स्थिति में 4554 बी.पी.एल. एवं 282 अन्त्योदय कुल 4836 राशनकार्ड निरस्त किये गये हैं। विकासखंडवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है।

सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में संचालित पहुंचविहीन उचित मूल्य की दुकानें

12. (*क्र. 170) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं ? इसमें से कितनी पहुंचविहीन क्षेत्र में संचालित है। (ख) बरसात पूर्व कितने पहुंचविहीन स्थानों में खाद्यान्न भण्डारण की व्यवस्था की गई है ? (ग) शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी तेल प्रति यूनिट कितनी-कितनी मात्रा में प्रदान किया जाता है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नुलाल मोहले) : (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 84 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। उक्त दुकानों में से कोई भी दुकान पहुंचविहीन नहीं है। (ख) उक्त संचालित उचित मूल्य दुकानें पहुंचविहीन क्षेत्र में नहीं आने के कारण अग्रिम भंडारण का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी तेल प्रति कार्ड 3 लीटर के मान से कार्डधारियों को प्रदाय किया जाता है।

रायगढ़ जिले में अटल आवास योजनान्तर्गत निर्मित आवास

13. (*क्र. 245) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-09 में एवं 2009-10 में रायगढ़ जिले के किन-किन शहरों में अटल आवास योजनान्तर्गत कितने-कितने आवास निर्माण कराए गए ? (ख) कितने आवास कहां-कहां पर किन कारणों से अपूर्ण हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) (i) रायगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा अटल आवास योजनान्तर्गत पुसौर में 127, घरघोड़ा में 179, धरमजयगढ़ में 100, गीधा (खरसिया) में 247 आवास निर्माण कराए गए हैं। (ii) राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा नगर पालिका खरसिया में वर्ष 2008-09 में उक्त योजना में 100 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। (ख) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्माण कराये जा रहे अटल आवास में से धरमजयगढ़ में 27 भवन ठेकेदार के द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण कार्य अपूर्ण है। गीधा (खरसिया) में 5 भवन अतिक्रमण भूमि पर होने के कारण भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराकर ले-आऊट दिया गया। अतः ले-आऊट देर से देने के कारण अपूर्ण है। सारंगढ़ में 105 भवन स्थल पर जुलाई 2009 में बाढ़ का पानी भर जाने के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया है।

कोटा एवं रतनपुर नगर पंचायत के विकास हेतु स्वीकृत राशि

14. (*क्र. 510) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर जिले के कोटा एवं रतनपुर नगर पंचायत में वर्ष 2007-08, 2008-09 (30 जून, 2010) की स्थिति में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगरों के विकास हेतु किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : बिलासपुर जिले के नगर पंचायत कोटा एवं नगर पंचायत रतनपुर को वर्ष 2007-08, 2008-09 (30-6-2010) की स्थिति में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मदवार, स्वीकृत राशि की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है।

समर्थन मूल्य में धान खरीदी हेतु बारदानों का क्रय

15. (*क्र. 559) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009 एवं 2010 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में कितने-कितने बारदानों की खरीदी किन-किन फर्मों से की गई ? (ख) कंडिका “क” की खरीदी में राज्य शासन द्वारा बोनस की कितनी राशि, किस संस्था को, कब-कब दी गई, यह राशि किन-किन बैंकों में रखी गई थी ? (ग) क्या बारदाना खरीदी में अनियमितता किये जाने एवं कंडिका “ख” के तहत प्राप्त बोनस राशि को बैंकों में रखे जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो, क्या इसकी जांच करायी गई ? जांच में किन-किन को दोषी करार दिया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) खरीफ वर्ष 2008-09 में 1,63,177 गठान (प्रति गठान 500 नग) बारदाना एवं वर्ष 2009-10 में 1,80,744 गठान बारदाना की खरीदी भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्पोजल (डी.जी.एस. एण्ड डी.) से किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2009-10 में धान खरीदी के अनुमान से अधिक आवक होने के कारण धान खरीदी हेतु सहकारी समितियों से पी.डी.एस. के बारदाने एवं कृषकों से भी बारदाने क्रय किया गया। (ख) खरीफ वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में धान खरीदी में राज्य शासन बोनास की वर्षवार, संस्थावार, तिथिवार भुगतान की गई राशि का पत्रक † संलग्न परिशिष्ट में है। खरीफ वर्ष 2008-09 में मार्कफेड द्वारा वितरण के पूर्व उक्त राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा रायपुर में एवं खरीफ विपणन वर्ष 2009-10 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रायपुर में रखी गई थी। (ग) बारदाना खरीदी में अनियमितता की शिकायत नहीं पाई गई। कंडिका “ख” के तहत प्राप्त बोनास राशि को बैंकों में रखे जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच कराई गई, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई।

एन.आर.डी.ए. द्वारा नई राजधानी का निर्माण

16. (*क्र. 538) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एन.आर.डी.ए. द्वारा नई राजधानी में मंत्रालय भवन निर्माण, विभागाध्यक्ष भवन एवं केपिटल काम्प्लेक्स निर्माण के लिए अलग-अलग किनको-किनको कार्य आदेश, कुल कितने-कितने का, क्या-क्या निर्माण, कितनी-कितनी अवधि में करने के लिये कब प्रदान किया गया है ? कन्सल्टेन्ट कौन-कौन एवं कितनी पारिश्रमिक में किन शर्तों को अधीन किन-किन कार्यों के लिये नियुक्त किए गए हैं ? (ख) उक्त कार्यों के निर्माण एवं भुगतान की अलग-अलग अद्यतन स्थिति क्या-क्या है? समय वृद्धि किनको-किनको, कब-कब तक के लिये, कितनी-कितनी शास्ति एवं किन शर्तों के अधीन प्रदान की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी प्रपत्र “अ” एवं “ब” पर †† संलग्न है। (ख) जानकारी प्रपत्र “स” पर †† संलग्न है।

प्रदेश के जिलों को आवंटित केरोसिन की मात्रा

17. (*क्र. 290) **श्री फूलचंद सिंह** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भारत सरकार से प्रतिमाह केरोसिन का कितना आवंटन प्राप्त होता है ? (ख) प्राप्त आवंटन से प्रतिमाह किस-किस जिले को कितना-कितना केरोसिन दिया जा रहा है ? (ग) जिलों को केरोसिन का आवंटन किस आधार पर जारी किया जाता है ? (घ) राज्य को प्राप्त आवंटन का कितना केरोसिन उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से तथा कितना रिक्शा हाकर्स के माध्यम से वितरण कराया जा रहा है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) राज्य के लिए भारत सरकार से प्रतिमाह 15580 किलोलीटर केरोसिन का आवंटन प्राप्त होता है। (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जिलों को केरोसिन का आवंटन जिले में प्रचलित राशनकार्ड एवं घरेलू गैस कनेक्शन तथा उजियारा योजना के अंतर्गत हाट बाजारों में वितरण के आधार पर जारी किया जाता है। (घ) राज्य को प्राप्त आवंटन में से 14,591 किलोलीटर केरोसिन उचित मूल्य दुकानों एवं उजियारा योजनान्तर्गत चलित वाहन से तथा 989 किलोलीटर केरोसिन रिक्शा हाकर्स के माध्यम से वितरण कराया जा रहा है।

ग्रामोद्योग संचालनालय में संविदा पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी

18. (*क्र. 192) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामोद्योग संचालनालय में वर्तमान में कुल कितने अधिकारी-कर्मचारी संविदा आधार पर कार्यरत हैं ? (ख) क्या संविदा आधार पर नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों की नियुक्ति में संविदा भर्ती नियम 2004 का पालन किया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) एक अधिकारी एवं तीन कर्मचारी संविदा आधार पर कार्यरत हैं। (ख) जी हां।

जिला जांजगीर-चांपा में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

19. (*क्र. 295) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में शासकीय उचित मूल्य की कितनी दुकानें वर्तमान में संचालित हैं ? विकासखण्डवार संख्या बतायें। (ख) ऐसे कितने ग्राम पंचायत हैं, जहां उचित

मूल्य की दुकानें संचालित नहीं हैं ? विकासखण्डवार संख्या बतायें. (ग) उक्त ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य की दुकानें कब तक प्रारंभ कर दी जायेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में 618 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं, जिनकी विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) जिले में ऐसी 14 ग्राम पंचायतें हैं, जहां शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालित नहीं है. विकासखंडवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ग) 06 ग्राम पंचायतों में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों में अनियमितता पाये जाने के कारण उसे निलंबित कर समीप के अन्य ग्राम पंचायतों की दुकान में संलग्न किया गया है. इन दुकानों के विरुद्ध प्रकरण के निराकरण होने के उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायतों में पुनः दुकानें संचालित हो जावेगी. शेष 08 ग्राम पंचायतों में सेवा सहकारी समिति के माध्यम से राशन सामग्री वितरण हेतु कार्यवाही की जा रही है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बस संचालकों को प्रदत्त परमिट

20. (*क्र. 19) **श्री सौरभ सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत किन-किन बस संचालकों को कहां-कहां से किस-किस समय पर बस चलाने के लिये कितने वर्ष के लिए परमिट दिया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुल 59 स्थायी एवं 1 अस्थायी परमिट स्वीकृत किए गए हैं. संचालक का नाम, मार्ग अवधि, समय चक्र इत्यादि का विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" पर दर्शित है.

कुरुद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खाद्य सामग्री की कालाबाजारी के दर्ज प्रकरण

21. (*क्र. 360) **श्री लेखराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुरुद विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में खाद्य सामग्री की कालाबाजारी के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? (ख) कितनी मात्रा में चावल, दाल, शक्कर एवं मिट्टी तेल जब्त किया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) धमतरी जिले के कुरुद विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि में खाद्य सामग्री के कालाबाजारी के प्रकरण निरंक है. (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में उचित मूल्य के दुकान (पी.डी.एस.) खोलने/बदलने बाबत

22. (*क्र. 563) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कहां-कहां उचित मूल्य की दुकान (पी.डी.एस.) खोलने एवं वितरण केन्द्र को बदलने के लिए ग्रामीणों/जनप्रतिनिधि द्वारा मांग की गयी है ? (ख) उक्त ग्रामों में कब तक उचित मूल्य की दुकानें खोली जायेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ओंकारबंद, पोटिया, टोगोंपानी, बकमा, पण्डरीपानी, बोईरगांव, कारागुला एवं लिलेसर में उचित मूल्य दुकान खोलने तथा उचित मूल्य दुकान फिरंगी को ग्राम कौंसरा में खोलने हेतु एवं ग्राम मुड़ागांव को तुपकबोरा उचित मूल्य दुकान से पृथक कर उचित मूल्य दुकान गांजर में संलग्न करने हेतु आवेदन प्राप्त हुये हैं. (ख) ग्राम ओंकारबंद, बकमा, लिलेसर एवं कौंसरा में उचित मूल्य दुकान खोल दी गई है. ग्राम पोटिया एवं ग्राम टोगोंपानी में उचित मूल्य दुकान खोलने के लिए उप पंजीयक सहकारी समिति, महासमुंद को प्रस्तावित भेज दिया गया है. ग्राम पण्डरीपानी, बोईरगांव और कारागुला से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर उचित मूल्य दुकान संचालित है. अतः इन गांवों में नई दुकान नहीं खोलने का निर्णय लिया गया है. ग्राम मुड़ागांव, ग्राम पंचायत तुपकबोरा का आश्रित ग्राम है. तुपकबोरा में उचित मूल्य दुकान संचालित है. अतः मुड़ागांव को गांजर में संचालित उचित मूल्य दुकान से संलग्न नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है.

रायपुर तथा बिलासपुर जिले में बी.पी.एल./अन्त्योदय के तहत पंजीकृत हितग्राही

23. (*क्र. 516) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बी.पी.एल./अन्त्योदय योजना में पंजीयन हेतु पात्रता के क्या मापदण्ड हैं ? (ख) बिलासपुर एवं रायपुर जिले के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले

एवं अंत्योदय योजना के तहत कितने हितग्राही पंजीकृत हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें। (ग) वर्ष 2008-09 एवं 2009-2010 (30 जून) तक की स्थिति में उपरोक्त जिलों में कितने-कितने फर्जी बी.पी.एल. राशन कार्ड के प्रकरण दर्ज किये गये ? जिलेवार एवं विकासखण्डवार जानकारी दें। दोषी व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) बी.पी.एल. सर्वे सूची में शामिल परिवारों को राज्य शासन के निर्देशानुसार खाद्य विभाग द्वारा राशनकार्ड जारी किया जाता है. अंत्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों का चयन भारत सरकार के निर्देशानुसार बी.पी.एल. सर्वे सूची में शामिल परिवारों में से ग्राम सभा द्वारा अति गरीब लगभग 38 प्रतिशत परिवारों का किया जाता है. इसके अतिरिक्त पात्र अति गरीब परिवार जिनके नाम बी.पी.एल. सर्वे सूची में न हो, उन्हें भी ग्राम सभा द्वारा अंत्योदय योजना में शामिल किया जा सकता है. भारत सरकार के निर्देशानुसार कुछ रोग से प्रभावित तथा एचआईवी संक्रमित व्यक्ति भी अंत्योदय अन्न योजना में शामिल किये जाने की पात्रता रखते हैं. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

जिला राजनांदगांव में गौरव पथ निर्माण हेतु स्वीकृत राशि तथा कार्य की स्थिति

24. (*क्र. 518) **श्री भोलाराम साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में गौरव पथ निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि, कब-कब शासन द्वारा स्वीकृत की गई है ? कुल कितने किलोमीटर मार्ग को, कहां से कहां तक गौरव पथ निर्माण में सम्मिलित किया गया है ? (ख) वर्णित निर्माण कार्यों की पूर्णता, अपूर्णता, कार्य अप्रारंभ रहने, कार्य की वर्तमान प्रगति एवं व्यय के संबंध में जानकारी दें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) राजनांदगांव जिले में निकायवार गौरव पथ निर्माण हेतु स्वीकृत की गई राशि का विवरण, गौरव पथ मार्ग की कुल लम्बाई तथा मार्ग का विवरण †† संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) वर्णित निर्माण कार्यों की पूर्णता, अपूर्णता, कार्य अप्रारंभ, कार्य के वर्तमान प्रगति एवं व्यय का विवरण †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

प्रदेश में एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय योजना के तहत भारत सरकार द्वारा आवंटित चावल

25. (*क्र. 171) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 4 जुलाई, 2010 की स्थिति में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश को वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में ए.पी.एल., बी.पी.एल. एवं अंत्योदय योजना अंतर्गत कितना चावल प्रदान किया गया ? वर्षवार बतायें. (ख) उक्त समयवाधि में कितना चावल ए.पी.एल. परिवार को वितरित किया गया ? ए.पी.एल. परिवार को कितने रुपये प्रति किलो के हिसाब से कितना चावल देने की व्यवस्था है ? (ग) बी.पी.एल. एवं अंत्योदय कार्डधारियों की संख्या 4 जुलाई, 2010 की स्थिति में कितनी है ? (घ) कितने राशन कार्ड जांच के दौरान निरस्त किये गये तथा कितने स्वेच्छा से वापस किये जिलावार बतायें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान ए.पी.एल. योजना में 11,436 टन, बी.पी.एल. योजना में 4,54,368 टन एवं अंत्योदय अन्न योजना में 3,01,944 टन तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान ए.पी.एल. योजना में 97,443 टन, बी.पी.एल. योजना में 4,54,368 टन एवं अंत्योदय अन्न योजना में 3,01,944 टन चावल का आवंटन भारत सरकार से राज्य को प्राप्त हुआ. (ख) भारत सरकार द्वारा राज्य के लिये बी.पी.एल. परिवारों की संख्या (अंत्योदय परिवारों सहित) 18.75 लाख तय की गई है. इस संख्या से अधिक राज्य में जारी राशनकार्ड भारत सरकार के मानदंड से ए.पी.एल. श्रेणी के अंतर्गत आते हैं. राज्य के सभी ए.पी.एल. राशनकार्डधारियों के लिये 35 किलो खाद्यान्न वितरित करने हेतु भारत सरकार से आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है. अतः राज्य के अन्य गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के माध्यम से प्राथमिकता के साथ ए.पी.एल. योजना का खाद्यान्न मात्र 2 रुपये प्रतिकिलो की दर से वितरित किया जाता है. इस प्रकार भारत सरकार के मानदंड के अनुसार ए.पी.एल. राशन कार्डधारियों को वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान 11,436 टन चावल तथा वर्ष 2009-10 के दौरान 97,441 टन चावल का प्रदाय किया गया. इसके अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त 50,983 टन चावल एवं 24,004 टन गेहूं के अतिरिक्त आवंटन को राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2010 से ए.पी.एल. कार्डधारियों को प्रति कार्ड 35 किलो खाद्यान्न (चावल 13 रु. प्रतिकिलो एवं गेहूं 10 रु. प्रतिकिलो) प्रदान किया जा रहा है. (ग) दिनांक 04 जुलाई, 2010 की स्थिति में अंत्योदय कार्डधारियों की प्रदेश में संख्या 7.07 लाख तथा शेष सभी गरीब हितग्राहियों को जारी राशनकार्डों की संख्या 28.94 लाख है. (घ) दिनांक 16 जून 2010 से राशनकार्डों के सत्यापन की कार्यवाही प्रचलित है. यह कार्यवाही दिनांक 27 अगस्त, 2010 तक पूर्ण होगी. इसके उपरांत निरस्त किये गये राशनकार्डों एवं स्वेच्छा से वापस किये गये राशनकार्डों की वास्तविक संख्या ज्ञात हो सकेगी.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

विभाग में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की बर्खास्तगी संबंधी

1. (क्र. 193) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जाति प्रमाण-पत्र की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय छान बीन समिति ने विभाग को किन-किन अधिकारियों, कर्मचारियों के जाति प्रमाण-पत्र फर्जी होने की सूचना दी है ? (ख) क्या समिति ने उक्त अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किए जाने की भी अनुशंसा की है ? यदि हां तो, कब ? क्या इस हेतु कोई समय-सीमा भी नियत की है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी प्रपत्र “अ” में † संलग्न है. (ख) जी हां. जानकारी प्रपत्र “ब” में † संलग्न है.

मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनांतर्गत वितरित राशन कार्डों का सत्यापन

2. (क्र. 246) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत जारी राशन कार्डों का सत्यापन कराया गया है ? यदि हां तो सत्यापन का मापदण्ड क्या था ? सत्यापन कब कराया गया ? (ख) राशन कार्डों एवं गरीबी रेखा के पात्र हितग्राहियों के सत्यापन में कुल कितने हितग्राहियों को अपात्र पाया गया है ? जिलेवार, विकासखण्डवार निरस्त किए गए हितग्राहियों की जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) राज्य में गरीब परिवारों को जारी किये गये राशन कार्डों का नवीनीकरण कार्य दिनांक 16-06-2010 से प्रचलित है. मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना कार्डों के सत्यापन हेतु मापदण्ड †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) राशन कार्डों का सत्यापन कार्य वर्तमान में जारी है तथा यह कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही अपात्र पाये गये हितग्राहियों एवं निरस्त किये गये कार्डों की जानकारी दी जा सकेगी.

रतनपुर एवं कोटा नगर पंचायत में फर्जी बी.पी.एल. राशन कार्ड के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

3. (क्र. 513) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले के अंतर्गत रतनपुर एवं कोटा नगर पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एवं अंत्योदय योजना के तहत कितने हितग्राही पंजीकृत हैं ? नगर पंचायतवार जानकारी दें. (ख) वर्ष 2008-09, 2009-10 (30 जून) तक की स्थिति में उपरोक्त नगर पंचायतों में कितने-कितने फर्जी बी.पी.एल. राशन कार्ड के प्रकरण दर्ज किये गये ? नगर पंचायतवार जानकारी दें. दोषी व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) बिलासपुर जिले के अंतर्गत नगर पंचायत रतनपुर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एवं अंत्योदय योजना के तहत क्रमशः 807 एवं 636 हितग्राही पंजीकृत हैं तथा नगर पंचायत कोटा में क्रमशः 2593 एवं 526 हितग्राही पंजीकृत हैं. (ख) संख्या निरंक है. अतः दोषी व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

रायपुर एवं कोरबा जिले में थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु स्वीकृति

4. (क्र. 539) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर एवं कोरबा जिले में थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु किनको-किनको, कितनी-कितनी भूमि में, कहां-कहां, कितने-कितने मेगावाट का पावर प्लांट लगाने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति किसके-किसके द्वारा, कब-कब, किन शर्तों के अधीन प्रदान की गई है तथा किनके-किनके प्रकरण कितने-कितने मेगावाट के कितनी-कितनी भूमि पर कहां-कहां लगाने हेतु विचाराधीन है ? (ख) उक्त में से किनके-किनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त/बिना स्वीकृति के कार्य प्रारंभ कर दिये गये हैं तथा अलग-अलग निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या-क्या है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “एक” एवं “दो” पर है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “तीन” पर है.

उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण के मापदण्डों को पालन न करने पर कार्यवाही

5. (क्र. 560) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2008 से 31 मई 2010 तक रायपुर जिले के किन-किन उद्योगों के निरीक्षण में पर्यावरणीय संरक्षण के मापदण्डों का पालन होना नहीं पाया गया ? ऐसे उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (ख) कंडिका “क” के किन-किन उद्योगों को उत्पादन बंद करने के निर्देश जारी किए गए ? क्या इन उद्योगों को पुनः उत्पादन चालू करने की अनुमति दे दी गई ? यदि हां तो, क्यों और किन नियम/शर्तों के तहत और कब-कब ? (ग) रायपुर औद्योगिक क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं ? यदि नहीं तो, क्यों ? क्या उद्योगों के उत्सर्जित वेस्ट मटेरियल/राखड़ को डंपिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “एक” पर है. इनके विरुद्ध वायु (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 “क” के तहत कार्यवाही की गई है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “दो” एवं “तीन” पर है. (ग) रायपुर के औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उद्योगों को वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का सतत संचालन सुनिश्चित करने, उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर तक सीमित रखने, आंतरिक सड़कों को पक्का करने, सघन वृक्षारोपण करने, ठोस अपशिष्ट का उचित अपवहन/प्रबंधन करने हेतु निर्देश दिये जाकर क्रियान्वयन किया जा रहा है. स्पंज आयरन उद्योगों से उत्पन्न ठोस अपशिष्टों यथा चार-डोलोचार की कुछ मात्रा ईंधन के रूप में पॉवर प्लांट एवं ईट भट्टों में उपयोग किया जाता है. शेष चार-डोलोचार तथा अन्य ठोस अपशिष्टों यथा ई.एस.पी. डस्ट, एक्वेशन आदि को उद्योगों द्वारा स्वयं के परिसर में तथा समीप की अनुपयोगी खदानों अथवा भूमि पर संबंधित ग्राम पंचायत अथवा निजी भूमि स्वामी से सहमति के आधार पर भू-भरण हेतु उपयोग किया जाता है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जांजगीर-चांपा जिले में मड़वा परियोजना के तहत “ग्रीन बेल्ट” विकसित करने विषयक

1. (क्र. 31) **श्री सौरभ सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत “छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी” के निर्माणाधीन मड़वा परियोजना के तहत कितने क्षेत्रफल में किस-किस प्रजाति के कितने पेड़ों का “ग्रीन बेल्ट” विकसित करना है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी के निर्माणाधीन मड़वा परियोजना के तहत 174 हेक्टे. क्षेत्रफल में वन विकास निगम के पास उपलब्ध स्थानीय प्रजाति के लगभग 2,50,000 पौधों का वृक्षारोपण कर “ग्रीन बेल्ट” विकसित करना है.

नगरपालिका अकलतरा को विभिन्न योजना के तहत प्राप्त राशि

2. (क्र. 32) **श्री सौरभ सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30-06-2010 तक किस-किस कार्य के लिए किस-किस योजना के तहत कितनी राशि नगरपालिका अकलतरा को राज्य शासन से प्राप्त हुई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : नगर पालिका अकलतरा को पिछले वित्तीय वर्ष 2009-10 तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30-06-2010 तक योजनावार, कार्यवार प्रदाय की गई राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है.

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान का उठाव

3. (क्र. 67) **डॉ. शक्राजीत नायक** (श्री नंदकुमार पटेल) : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में गत खरीफ सीजन अक्टूबर, 2009 से 31 जनवरी 2010 तक जिलेवार कितनी-कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गयी ? कितना-कितना समर्थन मूल्य एवं कितनी-कितनी बोनस की राशि का भुगतान किया गया ? (ख) उपरोक्त खरीदे गये धान को 30 जून 2010 तक जिलेवार कहां-कहां मिलिंग के लिए या गोदामों में कितनी-कितनी मात्रा में सुरक्षित रखा गया है ? कितने-कितने मात्रा में 30-06-2010 की स्थिति में खुले आसमान के नीचे शेष रह गया है जिसका उठाव नहीं हो पाया है ? उठाव नहीं होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) दिनांक 30-06-2010 की स्थिति में मिलिंग हेतु शेष धान की संग्रहण केन्द्रवार मात्रा †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. दिनांक 30-06-2010 की स्थिति में 4.08 लाख टन धान को खुले स्थान में कैप कव्हर से ढककर सुरक्षित रखा गया है. इस वर्ष विगत वर्ष की तुलना में लगभग 7 लाख टन धान का अधिक उपार्जन हुआ है. भारतीय खाद्य निगम द्वारा भी मात्र 2 लाख टन मार्कफेड से प्राप्त किया गया. भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य से तीव्रता से चावल बाहर परिवहन न कराये जाने के कारण उनके पास चावल जमा कराने हेतु पर्याप्त गोदाम उपलब्ध न होने से धान की कस्टम मिलिंग प्रभावित हुई है.

रायगढ़ जिले में बी.पी.एल. कार्ड का सर्वे

4. (क्र. 68) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ शहर में दिनांक 08-07-10 की स्थिति में 40 वार्डों में वार्डवार बी.पी.एल. सूची में कितने-कितने हितग्राही नये जोड़े गये तथा कितने-कितने लोगों का वार्डवार बीपीएल सूची से नाम हटाया गया ? इस सर्वे में वार्डवार कितने आवासहीन पाये गये ? (ख) नये सर्वे में बीपीएल परिवार की सूची से नाम जोड़ने या हटाने के लिए शासन ने क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किये हैं ? (ग) वर्तमान में शहर के 40 वार्डों में वार्डवार जुलाई 2010 में कितना-कितना चावल, गेहूँ, शक्कर, मिट्टी तेल कितने-कितने हितग्राहियों को प्रदाय किया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) रायगढ़ शहर में दिनांक 08-07-2010 की स्थिति में खाद्य विभाग द्वारा बी.पी.एल. परिवारों

की सूची में कोई नाम जोड़े अथवा हटाये नहीं गये हैं. (ख) बी.पी.एल. सूची से नाम जोड़ने या हटाने हेतु सर्वे नहीं कराया गया है. अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है. (ग) जुलाई 2010 की राशन सामग्री का वितरण फिलहाल चल रहा है. माह की समाप्ति के पश्चात् इसे प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या बताई जा सकेगी.

बागबाहरा नगर में पेयजल व्यवस्था संबंधी

5. (क्र. 97) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बागबाहरा नगर के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु कुल कितने पानी की आवश्यकता है ? (ख) ग्रीष्म ऋतु में वर्तमान में नगर में स्थापित पेयजल अधोसंरचना से आवश्यकतानुसार कुल कितने प्रतिशत पेयजल की व्यवस्था हो जाती है ? वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 की स्थिति में वर्षवार जानकारी प्रदान करें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) बागबाहरा नगर के लिए पेयजल हेतु कुल 14.00 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है. (ख) ग्रीष्म ऋतु में वर्तमान में नगर में स्थापित पेयजल अधोसंरचना से आवश्यकतानुसार कुल 68 प्रतिशत पेयजल की व्यवस्था हो रही है. वर्षवार उपलब्धता की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष (1)	पेयजल की आवश्यकता (2)	उपलब्ध पेयजल (3)	(लाख लीटर में)
			उपलब्धता का प्रतिशत (4)
2008-09	13.30	8.569	64%
2009-10	13.65	8.965	66%
2010-11	14.00	9.580	68%

जिला रायपुर में संचालित अन्नपूर्णा दाल भात सेंटर में लाभान्वित हितग्राही

6. (क्र. 163) **श्री चैतराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं ? संचालनकर्ता के नाम सहित विकासखंडवार जानकारी दें. (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित केन्द्रों में प्रतिदिन कितने लोग लाभान्वित होते हैं.

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है.

जिला महासमुंद के नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

7. (क्र. 182) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिला अंतर्गत कितने नगर पालिका एवं नगर पंचायत को 01 जनवरी, 2009 से 4 जुलाई, 2010 तक भारत सरकार द्वारा किस-किस मद में कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु प्रदान की गई ? अलग-अलग बतायें. (ख) सरायपाली नगर पंचायत में वर्ष 2010 के लिये किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई तथा कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) महासमुंद जिला अंतर्गत 01 नगर पालिका एवं 05 नगर पंचायत को 01 जनवरी 2009 से 4 जुलाई 2010 तक भारत सरकार द्वारा 12वां वित्त आयोग एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी.आर.जी.एफ.) मद अंतर्गत प्रदाय की गई राशि एवं कार्यों का विवरण †† संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) सरायपाली नगर पंचायत में वर्ष 2010 के लिये पार्षद निधि मद में राशि 7.50 लाख रुपये प्रदान की गई है. प्रदाय की गई राशि से पार्षदों की अनुशंसानुसार विकास कार्य कराया जाता है.

विकासखण्ड बेरला एवं बेमेतरा में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण

8. (क्र. 223) **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड बेरला एवं बेमेतरा में अन्नपूर्णा योजना के तहत कितने हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है ? विकासखण्डवार गांव का नाम सहित जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड बेरला के 95 गांवों में 187 हितग्राहियों को तथा विकासखण्ड बेमेतरा के 16 गांवों में 27 हितग्राहियों को अन्नपूर्णा योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है. विकासखण्डवार गांववार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है.

रायगढ़ जिला में प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदन

9. (क्र. 258) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कितने-कितने आवेदकों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत रोजगार योजना का लाभ दिया गया ? (ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) वर्तमान में किन विभागों के माध्यम से संचालित हैं ? (ग) प्रश्नांक "क" में उल्लेखित अवधि में कुल कितने-कितने व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया गया था ? प्राप्त आवेदनों के विपरीत कितनी संख्या में ऋण अनुदान स्वीकृत किए गए ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) वर्ष 2008-09 में 18 एवं 2009-10 में 48 आवेदकों को योजना का लाभ दिया गया. (ख) प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम योजना वर्तमान में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग एवं जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के माध्यम से संचालित हैं. (ग) प्राप्त आवेदनों एवं वर्षवार, स्वीकृत प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	अवधि	प्राप्त आवेदकों की संख्या	ऋण अनुदान स्वीकृत प्रकरणों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2008-09	108	18
2.	2009-10	96	48
योग		204	66

जिला जांजगीर-चांपा में उपभोक्ता संरक्षण के तहत प्राप्त शिकायतें

10. (क्र. 299) **महंत रामसुन्दर दास** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जांजगीर-चांपा में 1 जनवरी, 2008 से 30-06-10 तक उपभोक्ता संरक्षण के तहत कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : प्रश्नांकित अवधि के दौरान जिला उपभोक्ता न्यायालय, जांजगीर में उपभोक्ताओं द्वारा कुल 54 प्रकरण दर्ज कराये गये. प्रश्नांकित अवधि में 09 प्रकरण निराकृत किये जा चुके हैं तथा 45 प्रकरण जिला उपभोक्ता न्यायालय जांजगीर के समक्ष विचाराधीन हैं.

जिला जांजगीर-चांपा में संचालित उद्योगों की जांच

11. (क्र. 300) **महन्त रामसुन्दर दास** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में वर्तमान में कितने उद्योग स्थापित हैं ? उक्त उद्योगों में पर्यावरण संरक्षण की क्या स्थिति है ? (ख) उक्त उद्योगों में वर्ष 2009-10 एवं 10-11 में पर्यावरण विभाग द्वारा कब-कब जांच किया गया है एवं जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया है ? (ग) जिला जांजगीर-चांपा में संचालित उद्योगों में पर्यावरण संबंधित त्रुटि पाये जाने पर किन-किन उद्योगों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की परिधि में आने वाले 409 उद्योग स्थापित हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से सम्मति प्राप्त है। वर्तमान में उक्त उद्योगों में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रण में है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में जांच किये गये उद्योगों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक के कॉलम-03 एवं 04 के अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक के कॉलम-05 के अनुसार है।

प्रदेश में संचालित अंडर ग्राउंड सीवरेज परियोजना

12. (क्र. 323) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्र एवं राज्य शासन की साझीदारी में प्रदेश में अंडर ग्राउंड सीवरेज परियोजना कहां-कहां एवं कब से संचालित है ? योजना की लागत सहित जानकारी दीजिये। (ख) केन्द्र सरकार द्वारा 30-06-10 तक कितनी राशि इस योजना के लिए प्रदान की गई है ? परियोजना के पूर्ण होने की अवधि क्या है ? (ग) किस-किस फर्म/कंपनी को इस परियोजना का कार्य दिया गया है ? 30-06-10 तक कितना भुगतान किया जा चुका है ? फर्म का नाम तथा भुगतान की गई राशि की जानकारी दें। (घ) 30-06-10 तक परियोजना में कितनी राशि व्यय हो चुकी है तथा कितना कार्य पूर्ण हो चुका है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) केन्द्र एवं राज्य शासन की साझीदारी में प्रदेश में अंडर ग्राउंड सीवरेज परियोजना नगर पालिक निगम बिलासपुर में अक्टूबर 2008 से क्रियान्वित की जा रही है। योजना की लागत राशि रु. 279.98 करोड़ है। (ख) केन्द्र सरकार द्वारा 30-06-2010 तक राशि रु. 42.89 करोड़ इस योजना के लिये प्रदान की गई है। परियोजना के पूर्ण होने की अवधि 2 वर्ष (अक्टूबर 2010) निर्धारित है। (ग) भूमिगत सीवरेज योजना बिलासपुर के लिये निम्नानुसार फर्मों को कार्य दिया गया है :-

1. मे. सिम्पलेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कोलकाता को 3 वर्ष हेतु संचालन-संधारण व्यय सहित सीवरेज पाईप लाईन एवं पम्पिंग स्टेशन निर्माण कार्य तथा सड़क पुनर्निर्माण कार्य.
2. मे. जियो मिलर्स एण्ड कंपनी नई दिल्ली को संपूर्ण मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रीकल उपकरणों सहित 54 एमएलडी एवं 17 एमएलडी क्षमता के दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य 3 वर्ष के संचालन-संधारण व्यय सहित. 30-06-2010 तक योजना अंतर्गत निम्नानुसार भुगतान किया गया है.—

1.	मे. सिम्पलेक्स इन्फ्रा. लि.	-	रु. 4287.30 लाख
2.	मे. जियो मिलर्स एण्ड कं.	-	रु. 1671.89 लाख
3.	मे. मेनहार्ट सिंगापुर	-	रु. 51.00 लाख

कुल भुगतान राशि - रु. 6010.19 लाख

(घ) 30-06-2010 तक परियोजना में राशि रु. 60,10,19,254.00 का व्यय हो चुका है। सिम्पलेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. कोलकाता द्वारा 28% कार्य एवं जियो मिलर कंपनी प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा 38.50% कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

रायगढ़ एवं कोरबा जिले में वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण की मात्रा

13. (क्र. 340) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में रायगढ़ तथा कोरबा जिले में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा आवाज प्रदूषण की मात्रा कितनी है ? पृथक-पृथक जानकारी दें ? (ख) वायु एवं जल में कौन-कौन से तत्व कितनी-कितनी मात्रा में मौजूद है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) रायगढ़ तथा कोरबा जिले में वर्तमान में वायु, जल एवं ध्वनि (आवाज) प्रदूषण स्तर की जानकारी क्रमशः † संलग्न प्रपत्र “अ”, “ब” एवं “स” अनुसार है। (ख) रायगढ़ तथा कोरबा जिले में वायु एवं जल में उपस्थित प्रदूषक तत्वों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” अनुसार है।

प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों की संख्या तथा राशन कार्ड का प्रदाय

14. (क्र. 341) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2009 से 30-06-10 तक की स्थिति में बी.पी.एल. परिवार की संख्या तथा उन्हें प्रदाय किए गए राशन कार्ड की संख्या जिलेवार बताएं ? (ख) वर्ष 2009 से 30-06-10 तक की स्थिति में कितने राशन कार्ड निरस्त किए गये ? जिलेवार बताएं ? (ग) वर्तमान में कितने प्रकार के राशन कार्ड प्रचलन में हैं ? तथा उन्हें प्रदायित खाद्यान्न तथा मात्रा के संबंध में जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) प्रदेश में वर्ष 2009 से 30-06-2010 तक की स्थिति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 18.75 लाख है. भारत सरकार द्वारा निर्धारित बी.पी.एल. परिवारों के अतिरिक्त मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत राज्य के 17.26 लाख गरीब परिवारों को राशन कार्ड जारी किये गये हैं. इस प्रकार कुल 36.01 लाख गरीब परिवारों को विभिन्न योजनाओं के राशन कार्ड जारी किये गये हैं. इन सभी राशन कार्डों की जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है. (ग) वर्तमान में 08 प्रकार के राशन कार्ड प्रचलन में हैं. राशन कार्ड के प्रकार एवं उन्हें प्रदायित खाद्यान्न की मात्रा की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” पर है.

जिला जांजगीर-चांपा के नगर पंचायतों के विकास हेतु स्वीकृत राशि

15. (क्र. 406) **श्री दूजराम बौद्ध** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले के नगर पंचायत खरौद, शिवरीनारायण, राहौद को वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में दिनांक 30 जून, 2010 तक शासन द्वारा नगर विकास हेतु किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि, कब-कब प्रदान की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : जांजगीर-चांपा जिले के नगर पंचायत खरौद, शिवरीनारायण एवं राहौद को शासन द्वारा नगर विकास हेतु वर्षवार एवं मदवार प्रदाय की गई राशि की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

जिला बिलासपुर में मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के जांच उपरांत पात्र तथा अपात्र कार्डधारी

16. (क्र. 444) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बिलासपुर के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में माह जून 2010 तक की स्थिति में मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की संख्या कितनी है ? (ख) क्या यह सत्य है कि छ. ग. शासन के आदेश अनुसार नगरीय क्षेत्रों में बी.पी.एल. कार्डधारियों की पात्रता के संबंध में जांच कराई जा रही है यदि हां तो 08 जुलाई 2010 तक की स्थिति में कितने बी.पी.एल. कार्डधारी अपात्र पाये गये हैं ? नगरीय निकायवार बिलासपुर जिले की जानकारी दें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) जिला बिलासपुर के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में माह जून 2010 तक की स्थिति में मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की निकायवार संख्या निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	निकाय का नाम (2)	संख्या (3)
1.	न. नि. बिलासपुर	36661
2.	न. पा. मुंगेली	5369
3.	न. पं. कोटा	3119
4.	न. पं. तखतपुर	3215
5.	न. पं. बोदरी	2456
6.	न. पं. बिल्हा	1789
7.	न. पं. रतनपुर	1814
8.	न. पं. गौरैला	3734
9.	न. पं. पेन्द्रा	1319

(1)	(2)	(3)
10.	न. पं. लोरमी	3098
11.	न. पं. पथरिया	735
12.	न. पं. सकरी	907
13.	न. पं. सरगांव	517
14.	न. पं. तिफरा	1952
15.	न. पं. सिरगिट्टी	2790
16.	न. पं. मल्हार	1685

(ख) जी हां. नगरीय क्षेत्रों में 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में जांच कराई जा रही है. 08 जुलाई, 2010 की स्थिति में अपात्र बी.पी.एल. कार्ड धारियों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	निकाय का नाम (2)	संख्या (3)
1.	न. नि. बिलासपुर	सत्यापन कार्य जारी
2.	न. पा. मुंगेली	31
3.	न. पं. कोटा	निरंक
4.	न. पं. तखतपुर	27
5.	न. पं. बोदरी	09
6.	न. पं. रतनपुर	47
7.	न. पं. गौरैला	06
8.	न. पं. पेन्द्रा	16
9.	न. पं. लोरमी	निरंक
10.	न. पं. तिफरा	निरंक
11.	न. पं. सिरगिट्टी	सत्यापन कार्य जारी

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में उद्योगों के अनुदान हेतु लंबित प्रकरण

17. (क्र. 522) **श्री भोलाराम साहू** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 08-07-10 की स्थिति में ग्रामोद्योग से सहायता प्राप्त कौन-कौन से उद्योग कहां-कहां संचालित हैं और उन्हें विभाग से कितना-कितना अनुदान प्राप्त हुआ है ? उद्योग के नामवार, स्थानवार एवं अनुदान राशिवार जानकारी दें ? (ख) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित कितने उद्योगों के अनुदान प्रकरण वर्तमान में विभाग में लंबित हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुनूलाल मोहले) : (क) जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) कोई प्रकरण लंबित नहीं है.

वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कालोनाईजरो को प्रदत्त लायसेंस

18. (क्र. 532) **श्री भजन सिंह निरंकारी** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2004 से अब तक वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कितने कालोनाईजरो को लायसेंस दिया गया है ? सूची सहित जानकारी दें ? (ख) वैशाली नगर विधान सभा के अंतर्गत कौन-कौन सी कॉलोनियां अवैध हैं ? उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) वर्ष 2004 से अब तक वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 19 कालोनाईजरो को

लायसेंस प्रदाय किया गया है. जो † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) वैशाली नगर विधान सभा के अंतर्गत 40 कालोनियां अवैध हैं. जिनमें से 33 अवैध कालोनियां वर्ष 1998 के पूर्व से प्रचलित हैं, इन अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु छ. ग. नगर पालिका कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें नियम 1998 के तहत विकास शुल्क का निर्धारण किया गया है तथा शुल्क जमा कराने की कार्यवाही प्रचलित है. शेष 07 अवैध कालोनियों में से 06 को नोटिस जारी किया गया है तथा 01 कालोनाईजर का अवैध निर्माण बाउण्ड्री वाल, गेट व नाली को तोड़ा गया है. जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

जिला बस्तर में हितग्राहियों को रोजगार हेतु प्रदत्त ऋण

19. (क्र. 548) **श्री बैदूराम कश्यप** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बस्तर में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 की स्थिति में ग्रामोद्योग द्वारा कितने लोगों को ऋण की सुविधा (रोजगार) प्रदान किया गया है ? विकासखण्डवार बतावें ? (ख) क्या उक्त अवधि में सभी आवेदन कर्ताओं को ऋण की सुविधा प्रदान कर दी गई है ? यदि नहीं तो, कितने शेष हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्लाल मोहले) : (क) जानकारी परिशिष्ट में †† संलग्न है. (ख) जी नहीं. शेष 176.

बस्तर जिले में टसर एवं मलबरी केन्द्रों का रकबा

20. (क्र. 552) **श्री बैदूराम कश्यप** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में कहां-कहां टसर एवं मलबरी केन्द्र कितने-कितने रकबा के साथ विद्यमान हैं ? (ख) वर्ष 2009-10 में केन्द्रवार फसलवार कितनी-कितनी मात्रा में कोसा ककून का उत्पादन हुआ ? किस-किस दर पर खरीदा गया ? बिक्री किया गया ? समितियों को कितना-कितना शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्लाल मोहले) : (क) टसर केन्द्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “A” में एवं मलबरी केन्द्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “B” में है. (ख) केन्द्रवार फसलवार टसर केन्द्रों में कोसा ककून उत्पादन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “C” एवं मलबरी केन्द्रों में ककून उत्पादन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “D” के अनुसार है. कोसा ककून का क्रय एवं क्रयदर क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “E” एवं “F” में तथा विक्रय एवं समितियों को प्राप्त कमीशन (लाभ) तथा विक्रय दर की जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “G” एवं “H” में है.

जिला बस्तर के नगरीय निकायों को गौरव पथ हेतु स्वीकृत राशि

21. (क्र. 553) **श्री बैदूराम कश्यप** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के किन-किन नगरपालिका एवं नगर पंचायतों को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में गौरव पथ निर्माण के लिए कितनी-कितनी राशि किस मद से आवंटित की गई थी ? (ख) उक्त राशि में केन्द्र व राज्य सरकार का कितना-कितना योगदान है ? किन-किन मार्गों का कितनी-कितनी लागत से निर्माण किया गया ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) बस्तर जिले के नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में गौरव पथ निर्माण के लिए राशि आवंटित नहीं की गई थी. (ख) उपरोक्त अवधि में राशि आवंटित नहीं की गई है. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जिला रायपुर में संचालित उचित मूल्य की दुकानों को निरस्त करने संबंधी

22. (क्र. 562) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में 31 मई, 2010 की स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की कितनी दुकानें संचालित हैं ? विकासखण्डवार बतावें ? (ख) उचित मूल्य की दुकानों में कहां-कहां की दुकानें 1 जनवरी, 2009 से 31 मई, 2010 की अवधि में निरस्त की गईं और क्यों ? स्थान सहित ब्यौरा दें ? (ग) क्या निरस्त की गईं उचित मूल्य दुकानों के संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि हां तो किन-किन के विरुद्ध ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) रायपुर जिले में 31 मई, 2010 की स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित विकासखंड दुकानों की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	विकासखंड (2)	संचालित उचित मूल्य दुकानों की संख्या (3)
1.	आरंग	121
2.	अभनपुर	84
3.	धरसीवा	93
4.	तिल्दा	82
5.	बलौदाबाजार	61
6.	पलारी	64
7.	भाटापारा	55
8.	सिमगा	57
9.	बिलाईगढ़	94
10.	कसडोल	75
11.	गरियाबंद	48
12.	छुरा	59
13.	फिंगेश्वर	51
14.	मैनपुर	56
15.	देवभोग	30
16.	रायपुर शहर	175

(ख) ओंकार प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार श्यामनगर द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान ग्राम टेका विकासखंड फिंगेश्वर को छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण निरस्त किया गया. (ग) जी हां. उचित मूल्य दुकान संचालक से प्रतिभूति के रूप में जमा की गई राशि में से 2500 रुपये जब्त किया गया.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदन

23 (क्र. 565) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) के तहत महासमुन्द जिले के खल्लारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष जनवरी 2009 से जून 2010 तक रोजगार प्राप्त करने से संबंधित कितने आवेदन प्राप्त हुए ? (ख) प्रश्नांक “क” में पंजीकृत आवेदकों में से कितने को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) का लाभ दिया जा चुका है ? शेष कितने हैं ? उन्हें कब तक योजना का लाभ दिया जावेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) कुल 16 आवेदन पत्र प्राप्त हुए. (ख) 04 आवेदकों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लाभ दिया जा चुका है. शेष 12 प्रकरण लंबित है. लंबित प्रकरणों का निराकरण हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

मुख्य नगर पालिका/नगर पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति

24. (क्र. 566) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्य नगर पालिका/नगर पंचायत अधिकारी के कितने पद स्वीकृत हैं ? वर्तमान में कितने पदस्थ हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? (ख) क्या यह सही है कि बागबाहरा नगर पंचायत में मुख्य नगर पंचायत अधिकारी का पद रिक्त है ? (ग) यदि हां तो, बागबाहरा नगर पंचायत में रिक्त मुख्य नगर पंचायत अधिकारी के पद पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री राजेश मूणत) : (क) प्रदेश में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के 168 पद स्वीकृत हैं. सभी पदों पर पदस्थापना आदेश जारी किये जा चुके हैं. (ख) जी नहीं. नगर पंचायत बागबाहरा में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर विभाग के आदेश क्रमांक 3288/3190/2010/18 दिनांक 07-07-2010 द्वारा श्री आर. के. बंजारे, सहायक वर्ग-2 नगर पालिका परिषद् डोंगरगढ़ को प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बागबाहरा पदस्थ किया जा चुका है. (ग) (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जिला जांजगीर-चांपा में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

25. (क्र. 612) **श्री नारायण चंदेल** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में समर्थन मूल्य पर कितनी-कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई है ? कृपया जानकारी विकासखंडवार दें ? (ख) प्रश्नांश "क" के संबंध में बतायें कि क्या खरीदी में सूखाग्रस्त (अकालग्रस्त) क्षेत्र भी शामिल है ? यदि हां तो, इनमें कौन-कौन से क्षेत्र शामिल हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की विकासखंडवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	विकासखंड का नाम	खरीफ विपणन वर्ष 2008-09 में खरीदी मात्रा क्विं. में	खरीफ विपणन वर्ष 2009-10 में खरीदी मात्रा क्विं. में
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अकलतरा	347150.40	438244.40
2.	नवागढ़	746688.60	950328.80
3.	बलौदा	239315.40	296519.40
4.	पामगढ़	512254.50	578960.20
5.	बम्हनीडीह	409475.77	450239.10
6.	मालखरौदा	674696.35	736172.60
7.	डभरा	712561.60	674264.00
	कुल	3642142.62	4124728.50

(ख) वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में जिले में कोई भी क्षेत्र-सूखाग्रस्त (अकालग्रस्त) घोषित नहीं किया गया है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “एक”

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 296) के भाग (ख) की जानकारी]

जिला-जांजगीर-चांपा

स. क्र.	निकाय का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	निर्माण की अद्यतन स्थिति	
			पूर्ण (4)	अपूर्ण (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नगर पालिका परिषद् जांजगीर नैला	67.15	-	अपूर्ण
2.	नगर पालिका परिषद् चांपा	89.33	-	अपूर्ण
3.	नगर पालिका परिषद् सक्ती	82.35	पूर्ण	-
4.	नगर पालिका परिषद् अकलतरा	88.96	-	अपूर्ण
5.	नगर पंचायत नयाबारद्वार	56.94	पूर्ण	
6.	नगर पंचायत बलौदा	49.59	-	अपूर्ण
7.	नगर पंचायत खरौद	53.13	पूर्ण	-
8.	नगर पंचायत शिवरीनारायण	53.13	पूर्ण	-
9.	नगर पंचायत अड़भार	60.49	-	अपूर्ण

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 18) की जानकारी]

विधान सभा क्षेत्र अकलतरा में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों की सूची

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जहां शा. उ. मू. दुकान संचालित है	महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अकलतरा	अमलीपाली	गंगा महिला स्व सहायता समूह अमलीपाली
2.	अकलतरा	मधुवा	सर्वमंगला महिला स्व सहायता समूह मधुवा
3.	अकलतरा	झलमला	ज्योति महिला स्व सहायता समूह झलमला
4.	अकलतरा	परदा	मरकीन माता महिला स्व सहायता समूह परसदा
5.	अकलतरा	किरारी	टिकारी महिला स्व सहायता समूह किरारी
6.	अकलतरा	कापन	जय मां दुर्गामहिला स्व सहायता समूह कापन
7.	अकलतरा	नरियरा	अन्नदाता महिला स्व सहायता समूह नरियरा
8.	अकलतरा	बरगांव	अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह बरगांव
9.	अकलतरा	बिरकोनी	जय अम्बे महिला स्व सहायता समूह बिरकोनी
10.	अकलतरा	परसाहीनाला	जय महामाया महिला स्व सहायता समूह परसाहीनाला
11.	अकलतरा	सांकर	बेमराज महिला स्व सहायता समूह सांकर
12.	अकलतरा	सोनसरी	महिला मण्डल स्व सहायता समूह सोनसरी
13.	अकलतरा	पौना	संतोषी माता महिला स्व सहायता समूह पौना
14.	अकलतरा	पिपरसत्ती	आशालता महिला स्व सहायता समूह पिपरसत्ती
15.	अकलतरा	आरसमेटा	जागृति महिला स्व सहायता समूह आरसमेटा
16.	अकलतरा	अमरताल	महिला मण्डल स्व सहायता समूह अमरताल
17.	अकलतरा	फरहदा	मां शुक्ला महिला स्व सहायता समूह फरहदा
18.	अकलतरा	पचरी	गुरुघासीदास महिला स्व सहायता समूह पचरी
19.	अकलतरा	सोनादुला	जय सतनाम महिला स्व सहायता समूह सोनादुला
20.	बलौदा	नवापारा (ख)	रागिनी महिला स्व सहायता समूह नवापारा
21.	बलौदा	भिलाई	दुर्गा महिला स्व सहायता समूह भिलाई
22.	बलौदा	कोरबी	गायत्री महिला स्व सहायता समूह कोरबी
23.	बलौदा	ढोरला	जय दुर्गे मां महिला स्व सहायता समूह ढोरला
24.	बलौदा	कुरमा	सदाबहार महिला स्व सहायता समूह कुरमा
25.	बलौदा	हरदीविशाल	विजय महिला स्व सहायता समूह हरदीविशाल
26.	बलौदा	खिसोरा	अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह खिसोरा
27.	बलौदा	बुड़गहन	मिनीमाता महिला स्व सहायता समूह बुड़गहन
28.	बलौदा	पंतोरा	जय भवानी महिला स्व सहायता समूह पंतोरा
29.	बलौदा	देवरी	अटल महिला स्व सहायता समूह देवरी
30.	बलौदा	डोंगरी	ममता महिला स्व सहायता समूह डोंगरी
31.	बलौदा	बगडबरी	मां खमदेश्वरी महिला स्व सहायता समूह बगडबरी

परिशिष्ट “तीन”

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 514) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

जिले का नाम	क्र.	व्यापारिक प्रतिष्ठानों के नाम जहां छाप मारा गया	फर्म में भंडारित/जप्त वस्तु			प्रकरण में की गई कार्यवाही
			वस्तु का नाम	मात्रा (क्विं./ नग में)	राशि (लाख रुपये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बिलासपुर	1.	मेसर्स चंद्रा कोल्ड स्टोरेज, तिफरा	1. चना 2. मटर	1000 500	23.50 8.25	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
	2.	मेसर्स नेशनल ट्रेडर्स व्यापार, विहार	1. दाल 2. शक्कर	149.75 2086	5.99 62.56	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
	3.	राधेश्याम पुरुषोत्तम लाल व्यापार, विहार.	1. शक्कर 2. खाद्य तेल	834	25.02	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
	4.	मेसर्स कालूराम रामनारायण व्यापार, विहार.	1. शक्कर 2. खाद्य तेल	15.55	7.78	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
	5.	मेसर्स रूची सोया लिमि., मेसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमि. एवं मेसर्स मोवा ट्रेडिंग कंपनी (रूची ग्रुप).	1. खाद्य तेल 2. उद्जनित वनस्पति तेल	3326.99 1025.02	160.33 40.58	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
	6.	मेसर्स शारदा एजेन्सीस व्यापार विहार	शक्कर	433.5	16.00	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
	7.	मेसर्स राजकुमार श्री चंद दाल मिल, तोरवा.	उड़द खड़ा एवं दाल	698.89	23.50	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
दुर्ग	8.	कैलाश ग्रेन स्टोर्स, सुपेला	चावल	103.4	1.10	प्रकरण में जप्ती पुलिस द्वारा की गई है. जप्त वस्तुओं के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है तथा आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है.
	9.	कोठारी ट्रेडर्स, कैम्प-2	खाद्य तेल	421.89	23.20	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
	10.	विजय ट्रेडिंग कंपनी, कैम्प-2	खाद्य तेल	416.52	22.90	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
	11.	आदर्श प्रोव्हिजन स्टार्स, जवाहर नगर.	खाद्य तेल	60.82	3.30	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
	12.	हिमांशु ट्रेडर्स, आपापुरा	शक्कर	160	5.40	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
	13.	एकादशी ट्रेडर्स, इंदिरा मार्केट	खाद्य तेल शक्कर	99.11 25	6.29	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	गंगवाल इंटरप्राइजेस, पुराना बस स्टेण्ड.		खाद्य तेल	11.87	0.65	कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन
15.	जय आनंद ट्रेडर्स		-	स्टाक सही पाया गया	-	अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई.
16.	जमुना देवी तापड़िया		चना	3330	66.60	60000 रुपये की राशि का जप्त चना राजसात.
17.	कुकरेजा कोल्ड स्टोरेज		चना मसूर	412.12 95.5	96.36 0.52	187.60 क्विं. चने की कीमत में से 70000 रु. की राशि राजसात की गई.
18.	एवरेस्ट कोल्ड स्टोरेज		चना उड़द दाल चना दाल मटर दाल	1929 6 92.5 3.2	36.65 0.24 2.31 7.68	64.50 क्विं. चना एवं 17.50 क्विं. चना दाल की कीमत में से 50000 रु. की राशि राजसात की गई.
धमतरी 19.	धमतरी कोल्ड स्टोरेज		चना	444.5	106.64	अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाये जाने के कारण जप्तशुदा चना मुक्त किया गया.
20.	महावीर कोल्ड स्टोरेज		चना	7334.65	176.03	150 क्विं. चना राजसात की गई.
21.	मे. जेठवानी ट्रेडर्स		शक्कर	स्टाक सही पाया गया	-	अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई.
			खाद्य तेल	स्टाक सही पाया गया	-	अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई.
22.	मे. मनोज ट्रेडर्स		खाद्य तेल	स्टाक सही पाया गया	-	अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	मे. चंदीराम धरमचंद		खाद्य तेल	स्टाक सही पाया गया	-	अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई.
24.	संदीप ट्रेडर्स		खाद्य तेल	स्टाक सही पाया गया	-	अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई.
25.	प्रिंस इंटरप्राइजेस		शक्कर	स्टाक सही पाया गया	-	अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई.
			खाद्य तेल	स्टाक सही पाया गया	-	अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई.
26.	श्री बलराम साहू, कृष्णा स्वीट्स एवं भोजनालय, कुरुद.		गैस	स्टाक सही पाया गया	-	अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई.
27.	श्री मेहबूब खान के निवास कुरुद		गैस	स्टाक सही पाया गया	-	अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई.
28.	श्री अनील चंद्राकर अनुराधा स्वीट्स कुरुद.		गैस	स्टाक सही पाया गया	-	अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई.
29.	फर्म बिंदा गैस एजेंसी, कुरुद		गैस	स्टाक सही पाया गया	-	अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायपुर	30.	राम कोल्ड स्टोरेज, बिरगांव	चना	10187.69	220.40	जप्तशुदा 3054.04 किं. चना के बाजार मूल्य में से 3 लाख रु. शासन पक्ष में राजसात की गई एवं 7133.65 किं. चना कृषक एवं व्यापारी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण मुक्त किया गया.
	31.	श्री जय राम बलानी प्रो. अंजना इंड.	राहर खड़ा राहर दाल बटरा बटरा दाल	1392.2 1289.8 84 155	56.00 70.90 0.70 3.11	जप्तशुदा सामग्री के बाजार मूल्य में से 25000 रु. शासन पक्ष में राजसात की गई.
	32.	सोम कोल्ड स्टोरेज, रावांभाटा	चना	10028.5	220.00	जप्तशुदा 2182.75 किं. चना के बाजार मूल्य में से 2.10 लाख रु. शासन पक्ष में राजसात की गई एवं 7845.75 किं. चना कृषक एवं व्यापारी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण मुक्त किया गया.
	33.	मे. रक्षा इंड. भाटापारा	चना दाल चना मटर चना बटरी चना दाल खण्डा	473 220 5305.2 4924.85 1969.35 110	14.19 4.84 90.18 108.00 31.50 1.65	जप्तशुदा सामग्री के बाजार मूल्य में से 01 लाख रु. शासन पक्ष में राजसात की गई.
	34.	महेश कोल्ड स्टोरेज, भनपुरी	चना	6098.46	134.00	जप्तशुदा 860 किं. चना के बाजार मूल्य में से 1.10 लाख रु. शासन पक्ष में राजसात की गई एवं 5238.46 किं. चना कृषक एवं व्यापारी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण मुक्त किया गया.
	35.	एस. पी. कोल्ड स्टोरेज, खमतराई	चना	9396.76	206.00	जप्तशुदा चना के बाजार मूल्य में से 1.40 लाख रु. शासन पक्ष में राजसात की गई.
	36.	श्री कैलाश बलानी, प्रो. यश दाल मिल मुडहीपार रोड़.	उड़द खड़ा उड़द दाल बटरी खड़ी बटरी दाल उड़द	2779 935.75 112.5 285 1560	97.26 39.27 1.90 5.70 62.40	जप्तशुदा सामग्री के बाजार मूल्य में से 50000 रु. शासन पक्ष में राजसात की गई.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37.	श्री रमेश अग्रवाल, प्रो. महादेव रोड लाईन्स, टाटीबंध.	शक्कर	695	2432.00	जप्तशुदा सामग्री के बाजार मूल्य में से 50000 रु. शासन पक्ष में राजसात की गई.	
38.	श्री गोविंद कुमार अग्रवाल, कांटाबांझी जिला-बालाधीर उड़ीसा.	शक्कर	105	3.67	जप्तशुदा सामग्री के बाजार मूल्य में से 10000 रु. शासन पक्ष में राजसात की गई.	
39.	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, प्रो. फर्म भगवती ट्रेडिंग कंपनी लक्ष्मी धर्मकांटा के पीछे गोंदवारा, रायपुर.	शक्कर	320	11.20	अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाये जाने के कारण जप्तशुदा शक्कर मुक्त किया गया.	
40.	श्री रंजन कुमार सिंह, मैनेजर जैन ट्रांसपोर्ट, भनपुरी.	शक्कर	2396.5	83.87	जप्तशुदा सामग्री के बाजार मूल्य में से 12.00 लाख रु. शासन पक्ष में राजसात की गई.	
41.	श्री आकाश कुमार प्रधान, मैनेजर प्रिंस रोड लाईन, गोंदवारा श्री सुरेश अग्रवाल फर्म मंगलम मार्केट एवं गोदाम, गोंदवारा.	शक्कर	160	5.60	अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाये जाने के कारण जप्तशुदा शक्कर मुक्त किया गया.	
42.	श्री बालकृष्ण धुप्पड प्रो. के. एच. शुगर्स श्री धीरज धुप्पड श्री बाल-कृष्ण धुप्पड प्रो. के. एस. शुगर्स, कटोरा तालाब.	शक्कर	365.5	12.79	जप्तशुदा सामग्री के बाजार मूल्य में से 30000 रु. शासन पक्ष में राजसात की गई.	
43.	श्री दीपक शर्मा प्रो. मां अन्नपूर्णा रोड लाईन्स, गोंदवारा.	शक्कर	640	22.40	अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाये जाने के कारण जप्तशुदा शक्कर मुक्त किया गया.	
44.	श्री निलेश राजेन्द्र फर्म क्रिस्टल वेज ऑयल, भनपुरी, श्री रवि तायडे फर्म क्रिस्टल क्लियर वेज ऑयल, भनपुरी.	रिफॉइन्ड शिड ऑयल सोयाबीन ऑयल	569.4 2.4	29.58 0.12	प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है.	
45.	श्री संजय सचदेव एवं श्री कन्हैया लाल सचदेव प्रो. सचदेव राईस मिल, भाटापारा.	धान चावल कनकी	1317 627 47.5	13.17 9.40 0.38	प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है.	

परिशिष्ट “चार”

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 517) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

बीपीएल, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत जारी राशनकार्डों की विकासखंडवार जानकारी

क्र.	विकासखंड का नाम	सभी योजनाओं के अंतर्गत गरीब परिवारों को जारी राशनकार्ड	अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवारों को जारी राशनकार्ड	कुल जारी राशनकार्ड की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	खैरागढ़	15711	3751	19462
2.	चौकी	10860	2679	13539
3.	छुईखदान	17009	5872	22881
4.	छुरिया	14563	4603	19166
5.	डोंगेरगढ़	19815	3703	23518
6.	डोंगेरगांव	12896	3114	16010
7.	मानपुर	10677	2645	13322
8.	मोहला	10531	2302	12833
9.	राजनांदगांव	49756	5099	54855
	योग	161818	33768	195586

प्रपत्र “ब”

**दिनांक 08-07-2010 की स्थिति में बीपीएल एवं अन्त्योदय योजना के अंतर्गत
निरस्त राशनकार्डों की विकासखंडवार जानकारी**

क्र.	विकासखंड का नाम	निरस्त किये गये सभी योजनाओं के बीपीएल कार्ड	निरस्त किये गये अन्त्योदय कार्ड	निरस्त किये गये कुल कार्ड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	खैरागढ़	480	20	500
2.	चौकी	143	20	163
3.	छुईखदान	532	61	593
4.	छुरिया	446	101	547
5.	डोंगरगढ़	538	8	546
6.	डोंगरगांव	302	13	315
7.	मानपुर	132	5	137
8.	मोहला	12	1	13
9.	राजनांदगांव	1969	53	2022
	योग	4554	282	4836

परिशिष्ट “पांच”

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 510) की जानकारी]

वित्तीय वर्ष 2007-08 में स्वीकृत राशि की जानकारी

नगर पंचायत कोटा

क्रमांक (1)	मद का विवरण (2)	स्वीकृत की गई राशि (3)	राशि लाखों में दिनांक (4)
1.	पार्षद निधि	9.50	01-05-07
2.	अधोसंरचना विकास (अंतिम किश्त)	5.00	01-05-07
3.	मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना	1.22	17-05-2007
4.	सार्वजनिक प्रसाधन	3.00	17-05-2007
5.	ज्ञानस्थली योजना	8.53	17-05-2007
6.	विभिन्न विकास कार्यों हेतु	25.00	18-05-07
7.	जनसमस्या निवारण हेतु	5.00	14-12-07
8.	झुग्गी झोपडी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था मांग संख्या 41/1785.	5.00	19-03-07
9.	नाली निर्माण की द्वितीय किश्त	20.06	20-03-08
10.	गौरव पथ निर्माण (द्वितीय किश्त)	41.20	24-03-08

नगर पंचायत रतनपुर

क्रमांक (1)	मद का विवरण (2)	स्वीकृत की गई राशि (3)	राशि लाखों में दिनांक (4)
1.	पार्षद निधि	9.50	01-05-07
2.	अधोसंरचना विकास (अंतिम किश्त)	5.00	01-05-07
3.	मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना	1.22	17-05-2007
4.	मुक्तिधाम योजना	4.00	17-05-2007
5.	मॉडल रोड निर्माण हेतु अनुदान (महामाया चौक से पुराने बस स्टैण्ड तक महामाया चौक से बिलासपुर रोड नये बस स्टैण्ड तक).	78.12	19-06-2007
6.	जनसमस्या निवारण हेतु	5.00	14-12-07
7.	विस्थापन पर्यावरण योजना मांग संख्या 69/4179	5.00	19-03-08
8.	नाली निर्माण की द्वितीय किश्त	14.17	20-03-08
9.	गौरव पथ निर्माण द्वितीय किश्त)	49.52	24-03-08

वित्तीय वर्ष 2008-09 में स्वीकृत राशि की जानकारी

नगर पंचायत कोटा

क्रमांक (1)	मद का विवरण (2)	स्वीकृत की गई राशि (3)	राशि लाखों में
			दिनांक (4)
1.	समग्र विकास कार्य प्रथम किश्त	25.00	24-04-08
2.	समग्र विकास कार्य द्वितीय किश्त	25.00	22-07-08
3.	पाषर्द निधि	9.50	14-08-08
4.	ज्ञानस्थली योजना	8.53	16-09-2008
5.	पेयजल संकट निवारण हेतु	5.00	26-02-09
6.	समग्र विकास कार्य की तृतीय किश्त	25.00	7-03-09
7.	सांस्कृतिक भवन	12.50	25-03-2009
8.	समग्र विकास कार्य की चतुर्थ किश्त	3.78	27-03-09
9.	समग्र विकास कार्य की चतुर्थ किश्त की शेष राशि	0.94	27-03-09
10.	हाट बाजार समृद्धि का आधार	20.00	28-03-2009

नगर पंचायत रतनपुर

क्रमांक (1)	मद का विवरण (2)	स्वीकृत की गई राशि (3)	राशि लाखों में
			दिनांक (4)
1.	सरोवर धरोहर योजना	6.70	04-04-08
2.	समग्र विकास कार्य प्रथम किश्त	25.00	24-04-08
3.	समग्र विकास कार्य द्वितीय किश्त	25.00	22-07-08
4.	पाषर्द निधि	9.50	14-08-08
5.	समग्र विकास कार्य की तृतीय किश्त	25.00	07-03-09
6.	पेयजल संकट निवारण हेतु	5.00	26-03-09
7.	समग्र विकास कार्य की चतुर्थ किश्त	3.78	27-03-09
8.	समग्र विकास कार्य की चतुर्थ किश्त की शेष राशि	0.94	27-03-09

वित्तीय वर्ष 2010-11 में स्वीकृत राशि की जानकारी (30 जून 2010 की स्थिति में)

नगर पंचायत कोटा जिला-बिलासपुर

क्रमांक (1)	मद का विवरण (2)	स्वीकृत की गई राशि (3)	राशि लाखों में
			दिनांक (4)
1.	पार्षद निधि	7.50	01-05-2009
2.	पेयजल व्यवस्था	5.00	04-05-2010
3.	हाट बाजार समृद्धि का आधार	20.00	31-05-2010
4.	सांस्कृतिक भवन	12.50	01-06-2010

नगर पंचायत रतनपुर जिला-बिलासपुर

क्रमांक (1)	मद का विवरण (2)	स्वीकृत की गई राशि (3)	राशि लाखों में
			दिनांक (4)
1.	पार्षद निधि	7.50	01-05-2010

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 559) के भाग (ख) की जानकारी]

छ. ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कृषकों को बोनस भुगतान हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से अंतरित राशि का विवरण

क्रमांक	संस्था का नाम, जिसे राशि अंतरित की गई	वर्ष 2008-09				वर्ष 2009-10			
		दिनांक 20-02-2009 को	दिनांक 14-07-2009 को	दिनांक 12-08-2009 को	दिनांक 25-08-2009 को	दिनांक 26-08-2009 को	दिनांक 03-04-2010 को यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थानांतरित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	चेक नं. राशि (9) (10)		
1.	जिला सहकारी केन्द्रीय अधिकोष रायपुर.	943300000.00	4100000	778727625.20	5121061.00	0.00	1731248686.20	391608	528140000.00
2.	जिला सहकारी केन्द्रीय अधिकोष महासमुंद.	380900000.00	0	310335744.40	0.00	2948074.80	694183819.20	391608	253978000.00
3.	जिला सहकारी केन्द्रीय अधिकोष धमतरी.	337900000.00	0	279782098.80	0.00	0.00	617682098.80	391608	167823000.00
4.	जिला सहकारी केन्द्रीय अधिकोष दुर्ग.	689700000.00	1200000	572411997.20	0.00	0.00	1263311997.20	391615	319966500.00
5.	जिला सहकारी केन्द्रीय अधिकोष राजनागांव.	207800000.00	200000	172669318.80	0.00	0.00	380669318.80	391609	91209500.00
6.	जिला सहकारी केन्द्रीय अधिकोष कबीरधाम.	65100000.00	0	54056141.40	0.00	0.00	119156141.40	391609	16454000.00
7.	जिला सहकारी केन्द्रीय अधिकोष पंडरिया.	31600000.00	0	26110705.80	0.00	0.00	57710705.80	391610	12144500.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.	जिला सहकारी केन्द्रीय अधिकोष बिलासपुर.	380900000.00	17200000	327843132.40	0.00	0.00	725943132.40	391610	159209500.00
9.	जिला सहकारी केन्द्रीय अधिकोष कोरबा.	51700000.00	0	43180241.20	0.00	0.00	94880241.20	391610	23513500.00
10.	जिला सहकारी केन्द्रीय अधिकोष जांजीर.	562600000.00	0	466817726.80	0.00	0.00	1029417726.80	391610	269745500.00
11.	जिला विपणन अधिकारी रायगढ़.	393900000.00	2900000	327692676.60	0.00	0.00	724492676.60	391611	182343000.00
12.	जिला विपणन अधिकारी जशपुर.	27200000.00	0	22643954.60	0.00	0.00	49843954.60	391612	11388500.00
13.	जिला सहकारी केन्द्रीय अधिकोष अबिकापुर.	166100000.00	29200000	161590386.60	0.00	0.00	356890386.60	391613	61323500.00
14.	जिला सहकारी केन्द्रीय अधिकोष कोरिया.	29600000.00	0	24236875.40	0.00	0.00	53836875.40	391613	9803500.00
15.	जिला सहकारी केन्द्रीय अधिकोष कांकेर.	89400000.00	0	73986716.80	0.00	0.00	163386716.80	391614	48913500.00
16.	जिला सहकारी केन्द्रीय अधिकोष जगदलपुर.	76500000.00	1500000	64471695.80	0.00	0.00	142471695.80	391614	48161000.00
17.	जिला सहकारी केन्द्रीय अधिकोष दंतेवाड़ा.	20800000.00	0	17484087.20	0.00	0.00	38284087.20	391614	7940500.00
योग		4455000000.00	56300000	3724041125.00	5121061.00	2948074.80	8243410260.80		2212057500.00

परिशिष्ट “सात”

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 538) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र.	कार्य का नाम	कार्यदिश प्रदान करने की तिथि	ठेकेदार का नाम	कार्य की लागत	निर्माण कार्य की अवधि	निर्माण कार्यों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	नया रायपुर में मंत्रालय भवन का निर्माण कार्य	27 दिसम्बर 2007	मेसर्स आई. व्ही. आर. सी. एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमि. हैदराबाद.	रु. 179.12 करोड़	24 माह	1. भवन संरचनात्मक कार्य. 2. आर्किटेक्चरल कार्य. 3. वातानुकूलन कार्य. 4. प्लम्बिंग एवं अग्निशमन कार्य. 5. विद्युतीकरण कार्य. 6. आंतरिक सुरक्षा एवं संचार व्यवस्था. 7. लैण्डस्केपिंग कार्य. 8. जल वितरण एवं संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्जिंग, जल निकास व्यवस्था.
2.	नया रायपुर में विभागाध्यक्ष भवन का निर्माण कार्य.	1 अक्टूबर 2008.	मेसर्स ईरा इन्फ्रा. इजीनियरिंग लिमि. नई दिल्ली.	रु. 208.94 करोड़	24 माह	1. भवन संरचनात्मक कार्य. 2. आर्किटेक्चरल कार्य. 3. वातानुकूलन कार्य. 4. प्लम्बिंग एवं अग्निशमन कार्य. 5. विद्युतीकरण कार्य. 6. आंतरिक सुरक्षा एवं संचार व्यवस्था. 7. लैण्डस्केपिंग कार्य. 8. ट्रांसफार्मर एवं जनरेटर प्रतिस्थापन एवं लिफ्ट लगाने का कार्य. 9. जल वितरण एवं संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्जिंग, जल निकास व्यवस्था.
3.	केपिटल काम्प्लेक्स एकीकृत अधोसंरचना विकास कार्य.	01 फरवरी 2010	मेसर्स रैम्की इन्फ्रास्ट्रक्चर, हैदराबाद.	रु. 108.05 करोड़	15 माह	1. सुरक्षा बैरक, सुरक्षा वाच टावर, हास्पिटल, पोस्ट आफिस, वाहन चालक प्रतिकालय भवनों का निर्माण कार्य. 2. सड़क निर्माण कार्य. 3. बस स्टॉप एवं वाहन पार्किंग का निर्माण कार्य. 4. बाऊंड्रीवाल निर्माण कार्य 5. आर्किटेक्चरल कार्य 6. प्लम्बिंग कार्य. 7. विद्युतीकरण कार्य. 8. लैण्डस्केपिंग कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						9. विद्युत सब स्टेशन प्रतिस्थापन एवं लिफ्ट लगाने का कार्य. 10. जल वितरण एवं संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्जिंग, जल निकास व्यवस्था, एस. टी. पी. एवं संरचनात्मक कार्य.
4.	निर्माणाधीन मंत्रालय भवन में डीजल जनरेटर सेट की आपूर्ति एवं प्रतिस्थापन का कार्य.	31 मार्च 2010.	पावर इंस्ट्रूमेंशन गुजरात लिमि. अधेरी मुम्बई.	रु. 7.39 करोड़	6 माह	डिजल जनरेटर सेट की आपूर्ति एवं प्रतिस्थापन का कार्य.
5.	निर्माणाधीन मंत्रालय भवन में ट्रांसफार्मर सेट की आपूर्ति एवं प्रतिस्थापन का कार्य.	31 मार्च 2010.	पावर साल्यूशन अहमदाबाद.	रु. 2.457 करोड़	4 माह	ट्रांसफार्मर सेट की आपूर्ति एवं प्रतिस्थापन का कार्य.
6.	निर्माणाधीन मंत्रालय भवन में लिफ्ट की आपूर्ति एवं प्रतिस्थापन का कार्य.	18 मई 2010	एयर प्रफेक्शन राइट टाऊन, जबलपुर.	रु. 4.72 करोड़	6 माह	लिफ्ट की आपूर्ति एवं प्रतिस्थापन का कार्य.

प्रपत्र “ब”

क्र. (1)	कन्सल्टेंट का नाम (2)	पारिश्रमिक (3)	अनुबंध की शर्तें (4)	कार्य का नाम (5)
1.	सिडको, नवी मुम्बई -	रु. 65.00 लाख	<p>अनुबंध की तिथि :- 23-09-2006 (40 माह तक) पुनरीक्षित तिथि 23-2-2010 (अतिरिक्त 15 माह तक)</p> <p>अनुबंध की शर्तें :-</p> <ol style="list-style-type: none"> विशेषज्ञ सलाहकार राजधानी परिसर, मंत्रालय भवन एवं विभागाध्यक्ष भवन के निर्माण कार्यों के लिए नियोजन, निविदा एवं निर्माण हेतु आवश्यक विशेषज्ञ परामर्श दात्री सेवायें एनआरडीए को प्रदान करेगा. समय-समय पर समीक्षा बैठकों, समन्वय बैठकों में भाग लेगा तथा एनआरडीए को वास्तुविद्, परियोजना प्रबंधन सलाहकार एवं ठेकेदार के कार्यों की प्रगति एवं सेवा की गुणवत्ता के संबंध में सलाह देगा. कार्यों के अतिरिक्त आईटम के लिये तकनीकी सलाह तथा निर्माण प्रबंधन में मतभिन्नता की स्थिति में कार्य को उचित रीति से संपादित करने हेतु सलाह देगा. तीनों निर्माण कार्यों के गुणवत्ता क्वालिटी एश्योरेन्स मेनुअल एवं कंस्ट्रक्शन मैथड मेनुअल का परीक्षण कर समय-समय पर प्रवास करके तीनों निर्माण कार्यों के गुणवत्ता प्रबंधन का निरीक्षण कर एनआरडीए को सलाह देगा. समय-समय पर ठेकेदार एवं परियोजना प्रबंधन सलाहकार (इंजिनियर) के भुगतान बिलों का परीक्षण कर एनआरडीए को सलाह देगा. परियोजना प्रबंधन सलाहकार एवं ठेकेदार के द्वारा प्रस्तुत कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र/प्रतिवेदन का परीक्षण कर एनआरडीए को तत्संबंध में सलाह देगा. 	नया रायपुर में प्रस्तावित केपिटल काम्प्लेक्स में मंत्रालय भवन, विभागाध्यक्ष भवन एवं केपिटल काम्प्लेक्स एकीकृत अधोसंरचना विकास निर्माण के तीनों कार्यों के लिये संयुक्त रूप से नियुक्त
2.	श्री खांडे कन्सल्टेंट प्रा. लि. नयी मुम्बई.	रु. 13.50 लाख	<p>अनुबंध की तिथि :- 2-3-2007</p> <p>अनुबंध की शर्तें :-</p> <p>स्टेज 1- तीनों निर्माण कार्यों के डिजाईन ब्रीफ रिपोर्ट, स्ट्रक्चर की सामान्य व्यवस्था एवं सामान्य स्ट्रक्चर ड्राईंग का परीक्षण कर एनआरडीए को सलाह देना.</p>	उपरोक्तानुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>स्टेज 2- तीनों निर्माण के स्ट्रक्चर डिजाईन के विस्तृत विश्लेषण उपरांत डिजाईन एवं वर्किंग ड्राईंग पर एनआरडीए को सलाह देना.</p>	
3.	उत्तम चंद जैन, मुम्बई	<p>रु. 400.00 लाख निर्माण लागत रु. 300 करोड़ तक + अतिरिक्त के कार्य के लिए 1 प्रतिशत अतिरिक्त.</p>	<p>अनुबंध की तिथि :- 23-9-2006 (48 माह तक कार्यावधि) नया रायपुर में प्रस्तावित केपिटल काम्प्लेक्स के मास्टर प्लान, सचिवालय भवन निर्माण, विभागाध्यक्ष भवन निर्माण एवं एंसिलरी भवन निर्माण से संबंधित भवन, सड़क, बाऊंड्रीवाल, जल वितरण एवं संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग/ रिर्चाजिंग, जल निकास व्यवस्था, विद्युतीकरण, अग्नि सुरक्षा, लैण्डस्केपिंग, वातानुकूलन, एलिवेटर, संचार व्यवस्था इत्यादि कार्यों के लिये प्लानिंग, डिजाईन, ड्राइंग, टेण्डर डाक्यूमेंट, सेम्पल एप्रूवल से संबंधित वास्तुविद् एवं विषय विशेषज्ञ सलाहकार सेवा प्रदान करने.</p>	उपरोक्तानुसार.
4.	हास्पिटल मैनेजमेंट कन्सल्टेंट प्रा. लि. नई दिल्ली.	<p>रु. 380.00 लाख</p>	<p>अनुबंध की तिथि :- 17-10-2007 कार्यादेश की तिथियां :- 1. मंत्रालय भवन निर्माण - 28-12-2007 (24 माह) 2. विभागाध्यक्ष भवन निर्माण - 13-10-2008 (24 माह) 3. केपिटल काम्प्लेक्स समन्वित अधोसंरचना विकास कार्य - 31-10-2010 (18 माह) नया रायपुर में प्रस्तावित केपिटल काम्प्लेक्स के मास्टर प्लान, सचिवालय भवन निर्माण, विभागाध्यक्ष भवन निर्माण एवं एंसिलरी भवन निर्माण से संबंधित भवन, सड़क, बाऊंड्रीवाल, जल वितरण एवं संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग/ रिर्चाजिंग, जल निकास व्यवस्था, विद्युतीकरण, अग्नि सुरक्षा, लैण्डस्केपिंग, वातानुकूलन, एलिवेटर, संचार व्यवस्था इत्यादि कार्यों के लिये प्लानिंग, डिजाईन, ड्राइंग, टेण्डर डाक्यूमेंट, सेम्पल एप्रूवल से संबंधित कार्यों का पर्यवेक्षण, गुण नियंत्रण एवं निर्माण प्रबंधन हेतु इंजीनियर के रूप में सेवा प्रदान करना.</p>	उपरोक्तानुसार.
5.	आई. टी. आई. खड़गपुर.	<p>रु. 50.00 लाख</p>	<p>अनुबंध की तिथि :- 06-02-2010 अनुबंध की शर्तें :- 1. इंटरियर डिजाईन, स्पेशिफिकेशन, प्राक्कलन, वर्किंग ड्राइंग, बिल ऑफ क्वांटिटी एवं टेण्डर डाक्यूमेंट तैयार करना. 2. आंतरिक साज-सज्जा एवं फर्नीचिंग हेतु ठेकेदारों के चयन से संबंधित निविदाओं का प्रबंधन.</p>	निर्माणाधीन मंत्रालय भवन के आंतरिक साज-सज्जा एवं फर्नीचिंग के लिये प्लानिंग डिजाईन एवं निर्माण प्रबंधन सलाहकार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. आंतरिक साज-सजा एवं फर्नीशिंग कार्यों का सुपरविजन समन्वय, मॉनीटरिंग, माप की जांच गुणवत्ता नियंत्रण सहित परियोजना प्रबंधन करना.	

प्रपत्र "स"

क्र.	कार्य का नाम	निर्माण की स्थिति	भुगतान की स्थिति	समय वृद्धि	शास्ति एवं शर्तों की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नया रायपुर में मंत्रालय भवन का निर्माण कार्य.	1. भवन का 85% संरचना कार्य पूर्ण. 2. आंतरिक विद्युतीकरण, प्लम्बिंग एवं अग्निशमन, वातानुकूलन एवं सुरक्षा उपकरणों का कार्य प्रगति पर है.	रु. 67.93 करोड़	ठेकेदार को प्रथम समयावृद्धि अप्रैल 2010 तक तथा द्वितीय समयावृद्धि अक्टूबर 2010 तक दी गई है.	समस्त अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रावधानिक समयावृद्धि दी गई है.
2.	नया रायपुर में विभागाध्यक्ष भवन का निर्माण कार्य.	1. भवन का 25% संरचना कार्य पूर्ण. 2. आंतरिक विद्युतीकरण, प्लम्बिंग एवं अग्निशमन, वातानुकूलन एवं सुरक्षा उपकरणों का कार्य प्रगति पर है.	रु. 39.42 करोड़	ठेकेदार को प्रथम समयावृद्धि मार्च 2011 तक दी गई है.	समस्त अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रावधानिक समयावृद्धि दी गई है.
3.	नया रायपुर में राजधानी परिसर का समन्वित अधोसंरचना विकास निर्माण कार्य.	1. भवन एवं सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है.	रु. 3.24 करोड़	लागू नहीं.	लागू नहीं.
4.	निर्माणाधीन मंत्रालय भवन में डीजल जनरेटर सेट की आपूर्ति एवं प्रतिस्थापन का कार्य.	1. दिनांक 31-03-2010 को एल. ओ. ए. जारी किया जा चुका है. 2. ड्राईंग की तकनीकी स्वीकृति प्रगति पर है.	कोई भुगतान नहीं किया गया है.	लागू नहीं.	लागू नहीं.
4.	निर्माणाधीन मंत्रालय भवन में ट्रांसफार्मर सेट की आपूर्ति एवं प्रतिस्थापन का कार्य.	1. दिनांक 31-03-2010 को एल. ओ. ए. जारी किया जा चुका है. 2. ड्राईंग की तकनीकी स्वीकृति प्रगति पर है.	कोई भुगतान नहीं किया गया है.	लागू नहीं.	लागू नहीं.
5.	निर्माणाधीन मंत्रालय भवन में लिफ्ट की आपूर्ति एवं प्रतिस्थापन का कार्य.	1. दिनांक 18-05-2010 को एल. ओ. ए. जारी किया जा चुका है. 2. ड्राईंग की तकनीकी स्वीकृति प्रगति पर है.	कोई भुगतान नहीं किया गया है.	लागू नहीं.	लागू नहीं.

परिशिष्ट “आठ”
[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 290) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रतिमाह केरोसिन आवंटन की जिलेवार जानकारी

(मात्रा किलोलीटर में)

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	केरोसिन की आवंटित मात्रा (3)
1.	कवर्धा	468
2.	कांकेर	600
3.	कोरबा	552
4.	कोरिया	372
5.	जशपुर	720
6.	जांजगीर-चांपा	1200
7.	दंतेवाड़ा	336
8.	दुर्ग	2004
9.	धमतरी	372
10.	नारायणपुर	96
11.	बस्तर	960
12.	बिलासपुर	1656
13.	बीजापुर	168
14.	महासमुंद	732
15.	राजनांदगांव	852
16.	रायगढ़	1044
17.	रायपुर	1960
18.	सरगुजा	1488
योग		15580

परिशिष्ट “नौ”
[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 295) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	विकासखण्ड का नाम	संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या जहां शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित नहीं हैं
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नवागढ़	101	7
2.	अकलतरा	55	2
3.	बलौदा	61	1
4.	पामगढ़	58	2
5.	बम्नीडीह	56	2
6.	सक्ती	74	0
7.	जैजैपुर	66	0
8.	मालखरौदा	69	0
9.	डभरा	78	0
योग		618	14

परिशिष्ट “दस”

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 516) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र.	जिला	विकासखंड	राशनकार्डधारियों की संख्या	
			बीपीएल	अन्त्योदय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बिलासपुर	कोटा	27953	9843
		गौरैला	17527	5214
		तखतपुर	306882	8238
		पेण्ड्रा	12194	3507
		पथरिया	19178	4385
		बिल्हा	45472	11913
		मुगेली	24361	6490
		मरवाही	17536	3518
		मस्तूरी	43706	12257
		लोरमी	30664	11234
		बिलासपुर नगर	25106	907
		2.	रायपुर	अभनपुर
आरंग	34488			6149
कसडोल	26500			3811
गरियाबंद	10681			4210
छुर्रा	15170			3475
तिल्दा	26546			5102
देवभोग	13663			3887
धरसीवा	24037			3567
पलारी	19421			3642
फिंगेश्वर	16845			3094
बलौदाबाजार	21280			3904
बिलाईगढ़	27751			3295
भाटापारा	25020			5399
मैनपुर	16504			7205
सिमगा	24158			3041
रायपुर नगर	84088			14571

प्रपत्र "ब"

क्र.	जिला	विकासखंड	वर्ष	फर्जी बीपीएल राशनकार्ड के प्रकरणों की संख्या	कार्यवाही का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुर	रायपुर शहर	2008-09	1	प्रकरण में 39 राशनकार्डों को रखने के आरोप में जुलैफा उर्फ बाई मां पति मकबूल खान के विरुद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया है.
		भाटापारा	2008-09	1	इस प्रकरण में भाटापारा के ग्राम मोपका के सरपंच श्री लखनलाल वर्मा, सचिव श्री अलाल खोर एवं विक्रेता श्री तलेश कुमार ध्रुव के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया.
		रायपुर शहर	2009-10	1	प्रकरण में 27 राशनकार्ड फर्जी तरीके से जारी करने के कारण इन राशनकार्डों को निरस्त कर दिया गया है तथा दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है.
कुल प्रकरण				3	
2.	बिलासपुर	बिल्हा	2009-10	1	नगर पंचायत तिफरा, विकासखंड बिल्हा के पुराने ग्राम पंचायत भवन में अवितरित 744 राशनकार्ड पाये जाने विस्तृत जांच की गई है. जांच में जप्त राशन कार्डों में पात्र 187 राशनकार्डों का वितरण कराया गया एवं शेष 557 राशनकार्ड निरस्त किया गया. उपरोक्त प्रकरण में खाद्य निरीक्षक एवं एक ग्राम पंचायत सचिव का निलंबित किया गया एवं तिफरा नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं उचित मूल्य दुकान के सेल्समेन एवं एक अन्य विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया गया.
कुल प्रकरण				1	

परिशिष्ट "भयारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 518) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	निकाय का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये लाख) एवं दिनांक	कुल व्यय	गौरवपथ मार्ग की कुल लम्बाई	निर्माण मार्ग का विवरण	पूर्ण/अपूर्ण	कार्य की वर्तमान स्थिति			
							कार्य का नाम	प्रस्तावित कार्य	किये गये कार्य	शेष कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	न.नि. राजनांदागांव	506.11 30-07-07	450.62	2.6 कि.मी.	नगर पालिक निगम, राजनांदागांव सीमांतर्गत कुल 2.6 कि.मी. लंबाई का गौरव पथ निर्माण दुर्गा टाकीज रोड से जिला चिकित्सालय परिसर होते हुए विज्ञान महाविद्यालय के सामने से बन विभाग के डिपो के अंदर होते हुए स्टेडियम रोड तक सम्मिलित किया गया है.	अपूर्ण	7.50 मीटर चौड़ा 2 लेन सी.सी. रोड कार्य. डिवाइडर फुटपाथ ड्रेन के साथ फुटपाथ के ऊपर टाईल्स कार्य. रेलिंग पुलिया विद्युतीकरण कार्य	2593 मी 1260 मी 2631 मी 2631 मी 58 मी 5 नग 45 पोल	1732 मी 1200 मी 1090 मी 662 मी - 5 नग -	861 मी. 60 मी 1541 मी 1967 मी 58 मी - 45 पोल
2.	न.पा. डोंगरगढ़	76.87 05-01-07	73.78	1250 मी.	बोरतलाब चौक से भगतसिंह चौक तक भगतसिंह चौक से ओम एस.टी.डी. तक एवं भगतसिंह चौक से गोलबाजार महावीरपारा तक तथा गोलबाजार से हाईस्कूल चौक तक कुल 1250 मीटर गौरव पथ निर्माण हेतु सम्मिलित किया गया.	अपूर्ण	1. गोल बाजार से हाई स्कूल चौक तक डामरीकरण अपूर्ण है जिसका डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य हो चुका है डामरीकरण कराया जाना शेष है जिसे वर्षा ऋतु पश्चात् कराया जावेगा.	1250 मी	1150 मी	100 शेष
3.	न.पा. खैरागढ़	51.50 05-01-07	146.77	1310 मी.	1. फारेस्ट नाका से पी.एच.ई. तिराहा तक-340 मी.	पूर्ण	आर.सी.सी. रोड निर्माण	13.10 मी	13.10 मी	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		88.80 13-01-09			2. विश्रामगृह से गार्डन की तिराहा तक-165 मी.		आर.सी.सी. नाली निर्माण	803.95 मी	803.95 मी	-
					3. पी.एच.ई. तिराहा से अस्पताल चौक तक-805 मी.		फुटपाथ निर्माण विद्युत पोल शिफ्टिंग.	20 नग	20 नग	-
4.	न.पं. गण्डई	13-01-2009 52.21 05-01-07	50.65	2.1 कि.मी.	नगर पंचायत गण्डई में वार्ड क्र. 01 बहेराभाठा से भट्ठवड़ी तक 2.1 कि.मी. डामरीकरण गौरवकरण निर्माण किया गया है.	पूर्ण	डामरीकरण	2.1 कि.मी.	2.1 कि.मी.	
5.	न.पं. छुईखदान	64.75 05-01-07	65.368	1 कि.मी.	गौरवपथ निर्माण में एक किलो मीटर रोड को सम्मिलित किया गया है प्रस्तावित गौरवपथ निर्माण में विश्राम गृह चौक से जयस्तंभ चौक होकर कड़रा चौक तक.	अपूर्ण	1. गौरवपथ निर्माण में विश्रामगृह चौक जयस्तंभ चौक तक 0.60 कि.मी. कार्य हो चुका.	0.60 कि.मी.	0.60 कि.मी.	-
6.	न.पं. अंबागाढ़ चौकी	54.99 05-01-07	47.71	840 मी	इस निकाय के क्षेत्रांतर्गत 840 मीटर डामरीकृत मार्ग राजीव गांधी चौक से जल संसाधन विभाग कार्यालय तक के मार्ग को गौरवपथ निर्माण में सम्मिलित किया गया है.	पूर्ण	बी.टी. रोड निर्माण कार्य	840 मी.	840 मी.	-
7.	न.पं. डोंगरगांव	43.67 05-01-07	43.51	642 मी. लंबाई	गौरव पथ की कुल लंबाई 642 मीटर राधेलाल गुप्ता के घर से मटिया रोड पंप हाउस चौक तक 7.50 मीटर चौड़ा, गौरवपथ निर्माण स्वीकृत किया गया.	पूर्ण	गौरवपथ निर्माण मॉडल रोड	642 मी	642 मी	-

2. जयस्तंभ चौक से कड़रा पारा चौक तक 0.40 कि.मी. कार्य.

0.40 कि.मी.

कड़रा पारा चौक तक वर्तमान में कार्य बंद

नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “बारह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 193) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

ग्रामोद्योग विभाग की प्रभागवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	प्रभाग का नाम (2)	अधिकारी/कर्मचारी का नाम (3)	पदनाम (4)
1.	रेशम प्रभाग	1. श्री जी. एन. अंदेवार 2. श्री दिनेश कुमार सोनकुसरे 3. श्री सुनील कुलार सोनकुसरे	उप संचालक (रेशम) (दिनांक 30-11-07 को सेवानिवृत्त) कनिष्ठ रेशम निरीक्षक सहायक ग्रेड-3
2.	हाथकरघा प्रभाग	1. श्री विष्णु प्रसाद धकाते 2. श्री डी. एस. धकाते 3. श्री जी. बी. गोखे	सहायक संचालक (हाथकरघा) सहायक संचालक (तकनीकी) सहायक निरीक्षक (हाथकरघा)
3.	छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड	1. श्री दिलीप हेडाऊ	प्रबंधक
4.	छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	1. श्री पी. डी. बघेल 2. श्री उमेश रायकवार	उप संचालक सुपर वाइजर

प्रपत्र “ब”

समिति ने अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की अनुशंसा निम्नानुसार पारित आदेश दिनांक में की गई है :—

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	उच्च स्तरीय छानबीन समिति का पारित आदेश दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री जी. एन. अंदेवार	उप संचालक रेशम (सेवानिवृत्त)	25-09-2006
2.	श्री दिनेश कुमार सोनकुसरे	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक	26-03-2007
3.	श्री सुनील कुमार सोनकुसरे	सहायक ग्रेड-3	26-02-2007
4.	श्री विष्णु प्रसाद धकाते	सहायक संचालक (हाथकरघा)	16-03-2007 सेवा से पृथक दिनांक 29-12-2009
5.	श्री डी. एस. धकाते	सहायक संचालक (तकनीकी)	25-04-2007 सेवा से पृथक दिनांक 12-12-2008
6.	श्री जी. बी. गोखे	सहायक संचालक (हाथकरघा)	16-03-2007
7.	श्री दिलीप हेडाऊ	प्रबंधक	25-09-2006
8.	श्री पी. डी. बघेल	उप संचालक	26-02-2007
9.	श्री उमेश रायकवार	सुपर वाइजर	06-11-2006

क्रमांक-04 एवं 05 को छोड़कर उक्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति के निर्णय पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से स्थगन प्राप्त है.

परिशिष्ट “तेरह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 246) के भाग (क) की जानकारी]

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जारी राशन कार्डों के सत्यापन हेतु मापदण्ड

1. शासकीय सेवा से संबंधित परिवारों के लिए 3367/-प्रतिमाह पाने वाले वेतन/मानदेय को परिवार की आय का कट ऑफ आधार माना जावे.
2. नगर निगम क्षेत्रों में 1000 वर्गफीट से अधिक, नगर पालिका क्षेत्र में 1250 वर्गफीट से अधिक और नगर पंचायत क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में हितग्राही के परिवार (पत्नि एवं बच्चों सहित) के मकान को अपात्रता का आधार बनाया जावे.
3. नगर निगम क्षेत्रों में 1500 वर्गफीट से अधिक नगर पालिका क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक और नगर पंचायत क्षेत्र में 2500 वर्गफीट से अधिक आवासीय भूमि के मानदण्ड को अपात्रता का आधार बनाया जावे.
4. हितग्राही के स्वयं के खाते में बैंक/डाकघर में एक लाख रुपये से अधिक राशि जमा पाये जाने पर उसे अपात्र माना जावे.
5. मोटर चलित चार पहिया वाहन जैसे ट्रैक्टर, ट्रक, बस, कार की भांति तिपहिया वाहन हितग्राही के पास होने पर उसे अपात्र माना जावे. इसी प्रकार एक से अधिक दुपहिया वाहन जैसे मोटर साईकिल, स्कूटर आदि हितग्राही के नाम से अथवा परिवार के अन्य सदस्यों (पत्नि एवं बच्चों) के नाम से होने पर उसे अपात्र माना जावे.
6. वर्तमान में कूलर, पंखे, मोबाईल, फ्रिज, आदि दैनिक आवश्यक वस्तुएं हो गई हैं, अतः मकान में इन वस्तुओं की उपलब्धता मात्र से उन्हें अपात्र घोषित नहीं किया जावे.
7. परिवार के मुखिया एवं उसकी पत्नि की मृत्यु हो जाने के उपरांत जारी राशन कार्ड का नवीनीकरण परिवार के पात्र पाये गये आश्रित सदस्य के नाम पर कर दिया जावे. ऐसे राशन कार्ड का नवीनीकरण उपरांत मात्र एक राशन कार्ड पात्र आश्रित सदस्य के नाम जारी किया जावे. पूर्व में मुखिया को जिस योजना/रंग का राशनकार्ड जारी किया गया था, उसी योजना/रंग के राशनकार्ड आश्रित सदस्य को जारी किया जावे.

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “चौदह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 32) की जानकारी]

वित्तीय वर्ष 2009-2010

क्र.	कार्य विवरण	योजना	प्रदाय की गई राशि (रुपये लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सामग्री क्रय तथा ट्रेचिंग ग्राउंड हेतु.	12वें वित्त आयोग	15.00
2.	पार्षद निधि	पार्षद निधि	22.00
3.	नाली निर्माण	अधोसंरचना	18.00
4.	सड़क, सी.सी.रोड, नाली, पोल शिफ्टिंग, ट्यूबर पोल अतिरिक्त कमरा निर्माण, मुक्तिधाम आदि कार्यों के लिये.	समग्र विकास कार्य की चतुर्थ किस्त	101.42
5.	पेयजल की व्यवस्था	झु.झो. क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था	13.90
वित्तीय वर्ष 2010-11 में 30-06-2010 तक			
1.	पार्षद निधि	पार्षद निधि	18.00

परिशिष्ट “पंद्रह”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 67) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

अक्टूबर, 2009 से 31 जनवरी, 2010 तक खरीदे गये धान मात्रा तथा भुगतान किये गये समर्थन का मूल्य एवं बोनस की राशि का जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला का नाम	उपार्जित धान की मात्रा (टन में)	भुगतान की गई समर्थन मूल्य एवं बोनस राशि (रुपये करोड़ में)		
			समर्थन मूल्य की राशि	बोनस की राशि	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कवर्धा	51604	49.71	2.58	52.29
2.	कांकेर	94029	91.71	4.70	96.41
3.	कोरबा	36470	34.77	1.82	36.59
4.	कोरिया	16839	16.50	0.84	17.34
5.	जशपुर	19990	19.24	0.99	20.23
6.	जांजगीर-चांपा	413409	392.74	20.67	413.41
7.	दन्तेवाड़ा	14112	13.45	0.71	14.16
8.	दुर्ग	567942	546.49	28.40	574.89
9.	धमतरी	321193	310.66	16.06	326.72
10.	बस्तर	80319	77.96	4.02	81.98
11.	बिलासपुर	256191	246.12	12.81	258.93
12.	महासमुंद	417784	402.53	20.89	423.42
13.	राजनांदगांव	174763	168.92	8.74	177.66
14.	रायगढ़	316705	301.41	15.84	317.25
15.	रायपुर	928388	893.81	46.42	940.23
16.	सरगुजा	96977	94.97	4.85	99.82
योग		3806716	3660.99	190.34	3851.33

प्रपत्र "ब"

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
सिविल लाईन, 880, मुख्यालय रायपुर (छ. ग.)

जिलों के संग्रहण केन्द्र में प्राप्त धान एवं शेष धान 30-06-2010 तक की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	संग्रहण केन्द्र का नाम	संग्रहण केन्द्र में प्राप्त मात्रा	मात्रा किंव. में
				शेष मात्रा 30-06-10 (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सरगुजा	अम्बिकापुर	186347.61	5436.89
2.	सरगुजा	सूरजपुर	80245.66	4149.88
3.	सरगुजा	सीतापुर	51192.96	4710.90
4.	बिलासपुर	भरनीभाठा	472085.55	25690.87
5.	बिलासपुर	पेन्द्रारोड	22296.55	392.05
6.	बिलासपुर	लोरमी	239663.42	10999.83
7.	बिलासपुर	मोपका	155367.9	5064.36
8.	बिलासपुर	सेमरताल	113168.93	4186.36
9.	बिलासपुर	बिल्हा	233731.04	8688.47
10.	रायगढ़	टी.सी.पी.सी. सारंगढ़	57696.04	1512.78
11.	रायगढ़	घरघोड़ा	0	0.00
12.	रायगढ़	लोहरसिंग (रायगढ़)	581406.75	18884.43
13.	रायगढ़	खरसिया	0	0.00
14.	रायगढ़	बरमकेला	0	0.00
15.	राजनांदगांव	बांधाबाजार	120965.12	3569.07
16.	राजनांदगांव	सिंघोला	280694.76	5197.35
17.	राजनांदगांव	तिलई	406334.46	38912.69
18.	राजनांदगांव	मदुराकुही	135826.93	58931.88
19.	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	144102.73	21639.26
20.	दुर्ग	बीजाभाठा ए+बी	731240.1	292003.21
21.	दुर्ग	जेवरा-सिरसा	274299.16	141261.80
22.	दुर्ग	सेलूद	765804.58	77297.71
23.	दुर्ग	जगतरा	916849.71	572290.69
24.	दुर्ग	मालीघोरी	0	0.00
25.	दुर्ग	फूण्डाभाठा	651901.97	32709.95
26.	दुर्ग	बोरईगोदाम	0	0.00
27.	दुर्ग	करंजा (भिलाई)	406858.43	18418.68
28.	रायपुर	भाटापारा	429512.07	79079.28
29.	रायपुर	धरसिंवा	607757.12	364036.97
30.	रायपुर	ब.बाजार	592157.33	79374.84
31.	रायपुर	तिल्दा	1088471.29	46776.85

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32.	रायपुर	जौदा (राजिम)	1490621.79	34211.84
33.	रायपुर	अभनपुर	475408.66	47660.05
34.	रायपुर	लखौली	995920.28	196196.81
35.	रायपुर	कसडोल	312148.44	41585.14
36.	रायपुर	भटगांव	192408.39	93779.93
37.	रायपुर	खरोरा	553939.14	130284.21
38.	जांजगीर-चांपा	सक्ती	669470.2	22036.30
39.	जांजगीर-चांपा	मिल प्रांगण जांजगीर	298658.69	10233.40
40.	जांजगीर-चांपा	मनोहरभांठा जांजगीर	702393.82	50411.60
41.	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	482153.57	14046.72
42.	जांजगीर-चांपा	डभरा	575074.53	22592.98
43.	कवर्धा	डबराभाट	324397.41	194171.92
44.	महासमुंद	सरायपाली	851750.59	529383.54
45.	महासमुंद	बसना	343729.19	17810.59
46.	महासमुंद	पिथौरा	732121.82	185340.12
47.	महासमुंद	महासमंद	914535.51	245212.65
48.	महासमुंद	बागबाहरा	491995.45	222722.32
49.	धमतरी	चिटौद	495907.12	15193.57
50.	धमतरी	नगरी सिहावा	122490.44	2800.58
51.	धमतरी	भाठागांव (कुरुद)	683569.75	20507.00
52.	धमतरी	भखारा	237256.19	8234.40
53.	धमतरी	मगरलोड	388764.01	23728.82
54.	कांकेर	कांकेर	39727.29	322.35
55.	कांकेर	लखनपुरी	412020.41	10489.70
56.	कांकेर	भानुप्रतापपुर (गोदाम)	88605.86	20748.36
57.	दन्तेवाड़ा	गीदम	65268.5	2995.25
58.	दन्तेवाड़ा	सुकमा	47743.34	1315.36
योग			22734058.56	4085232.56

आंकड़े नेट के आधार पर तैयार किया गया.

परिशिष्ट "सोलह"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 163) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	विकासखण्ड का नाम	अन्नपूर्णा दाल केन्द्र जहाँ संचालित है	दाल-भात केन्द्र के संचालनकर्ता का नाम	प्रतिदिन औसतन लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	धरसीवा	जय बंजारी मॉ धाम, ग्राम रावांभांठा, पोस्ट बीरगांव.	श्री हरिप्रसाद जोशी	200-225
2.	धरसीवा	बिजली ऑफिस के पास, माना	सिबू शाहा पिता श्री दीपक, निवासी-मेन रोड, टीटी-02.	140-150
3.	धरसीवा	मेन रोड उरला	श्री आनंद पाण्डे	100-105
4.	तिल्दा	विकास समिति बिलाड़ी	श्री धीरेन्द्र सिंह	100-125
5.	गरियाबंद	बस स्टैण्ड गरियाबंद	श्रीमती सुखबती	50-75
6.	बलौदाबाजार	नया बस स्टैण्ड, ब. बाजार	श्री उमेश बाजपेयी	150-175
7.	पलारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पास	श्री तिलक राम यादव	110-120
8.	कसडोल	सरकारी अस्पताल के सामने	श्री भगत राव	100-150
9.	कसडोल	गिरौदपुरी	अध्यक्ष, मितानित माता संकरा समूह	80-90
10.	बिलाईगढ़	महिला बाल विकास भवन कचहरी चौक, बिलाईगढ़.	श्री सुकलाल	150-160
11.	बिलाईगढ़	बस स्टैण्ड गिधौरी	श्रीमती जानकी देवी	75-100
12.	भाटापारा	कृषि उपज मण्डी के सामने भाटापारा	श्री प्रमोद शर्मा	125-130
13.	रायपुर शहर (वि. खं. धरसीवा)	रामसागर पारा	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ अग्रवाल महासभा.	300-325
14.	रायपुर शहर (वि. खं. धरसीवा)	आमानाका रिक्शा स्टैण्ड, रायपुर	श्री अरूण हरपाल, अध्यक्ष राजधानी रिक्शा मजदूर संघ	75-100
15.	रायपुर शहर (वि. खं. धरसीवा)	बस स्टैण्ड, रायपुर	श्री अरूण हरपाल, अध्यक्ष राजधानी रिक्शा मजदूर संघ	100-110

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	रायपुर शहर (वि. खं. धरसीवा)	तेलीबांधा, रायपुर	श्री अरूण हरपाल, अध्यक्ष राजधानी रिक्शा मजदूर संघ.	40-50
17.	रायपुर शहर (वि. खं. धरसीवा)	आयुर्वेदिक कॉलेज पास, रिक्शा स्टैण्ड.	श्री शत्रुघन नाग, अध्यक्ष सत्य कल्याण मजदूर संघ.	75-80
18.	रायपुर शहर (वि. खं. धरसीवा)	जिला चिकित्सालय रायपुर	श्रीमती सरोज चंद्राकर	100-120
19.	रायपुर शहर (वि. खं. धरसीवा)	आमानाका, रायपुर	श्री मधुसूदन मिश्रा, अध्यक्ष सिद्धपीठ खल्लारी युवा समिति.	60-70
20.	रायपुर शहर (वि. खं. धरसीवा)	मुक्तिधाम चौक, कोटा, रायपुर	श्री मधुसूदन मिश्रा, अध्यक्ष सिद्धपीठ खल्लारी युवा समिति.	80-100
21.	रायपुर शहर (वि. खं. धरसीवा)	कलक्टोरेट परिसर	श्री मधुसूदन मिश्रा, अध्यक्ष सिद्धपीठ खल्लारी युवा समिति.	450-550
22.	रायपुर शहर (वि. खं. धरसीवा)	विनोबाभावे नगर, अमरपुरी	श्री राजकुमार शर्मा, अध्यक्ष ओम सोसायटी.	150-175
23.	रायपुर शहर (वि. खं. धरसीवा)	जेल परिसर, रायपुर	श्री मोहन चोपड़ा	450-550
24.	रायपुर शहर (वि. खं. धरसीवा)	मेनरोड खमतराई	श्रीमती उषा शुक्ला	50-60
25.	रायपुर शहर (वि. खं. धरसीवा)	स्टेशन चौक गढ़ियारी मुख्य मार्ग नर्मदापारा रायपुर.	श्री अशोक कुमार मिर्जापुरी	वर्तमान माह जुलाई 2010 से प्रारंभ

परिशिष्ट “सत्रह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 182) के भाग (क) की जानकारी]

01 जनवरी 2009 से 04 जुलाई 2010 तक भारत सरकार द्वारा प्रदाय की गई राशि/मद एवं कार्यों का विवरण

क्र.	निकाय का नाम	मद का नाम	प्रदाय की गई राशि (लाख में)	कार्य का नाम	आदेश क्र./दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	न. पा. महासमुंद	12वें वित्त आयोग	30.00	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत विभिन्न संचा. न. प्र. एवं वि. का आदेश सामग्री क्रय करने एवं ट्रेचिंग ग्राउण्ड हेतु.	क्र. 4055/06-08-09.
		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी. आर. जी. एफ.)	47.00	ओव्हर हेड टेंक निर्माण हेतु	जिला पंचायत महासमुंद 6697/24-08-09.
		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी. आर. जी. एफ.)	49.51	सांस्कृतिक भवन निर्माण	जिला पंचायत महासमुंद 6697/24-08-09.
		12वें वित्त आयोग	0.50	कम्प्यूटर क्रय हेतु	संचा. न. प्र. एवं वि. का आदेश क्र. 5602/26-10-09.
		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी. आर. जी. एफ.)	71.56	आंतरिक खेल मैदान, सामुदायिक भवन एवं संजय कानन उद्यान विकास कार्य.	जिला पंचायत महासमुंद 310/18-01-10
2.	न. पं. बागबाहरा	12वें वित्त आयोग	10.00	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत विभिन्न संचा. न. प्र. एवं वि. का आदेश सामग्री क्रय करने एवं ट्रेचिंग ग्राउण्ड हेतु.	क्र. 2819/11-06-09.
		12वें वित्त आयोग	0.50	कम्प्यूटर क्रय हेतु	संचा. न. प्र. एवं वि. का आदेश क्र. 4062/07-08-09.
		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी. आर. जी. एफ.)	25.25	पानी टंकी निर्माण, उद्यान एवं खेल मैदान, नलकूप खनन, पाईप लाईन विस्तारीकरण, मोटर मरम्मत एवं विद्युत व्यवस्था हेतु सेट क्रय.	जिला पंचायत महासमुंद 6547/17-08-09
		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी. आर. जी. एफ.)	19.125	अतिरिक्त कमरा निर्माण, पानी टंकी निर्माण, तालाब गहरीकरण, नलकूप खनन, सार्वजनिक शौचालय एवं सम्पवेल निर्माण.	जिला पंचायत महासमुंद 310/18-01-10
3.	न. पं. तुमगांव	12वें वित्त आयोग	10.00	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत विभिन्न संचा. न. प्र. एवं वि. का आदेश सामग्री क्रय करने एवं ट्रेचिंग ग्राउण्ड हेतु.	क्र. 4055/06-08-09.
		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी. आर. जी. एफ.)	18.730	आंगनबाड़ी भवन निर्माण, नलकूप खनन, सार्वजनिक शौचालय निर्माण एवं सार्वजनिक मूत्रालय निर्माण.	जिला पंचायत महासमुंद 310/18-01-10.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	न. पं. सरायपाली	12वें वित्त आयोग	10.00	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत विभिन्न संचा. न. प्र. एवं वि. का आदेश सामग्री क्रय करने एवं ट्रेचिंग ग्राउण्ड हेतु. क्र. 2819/11-06-09.	
		12वें वित्त आयोग	0.50	कम्प्यूटर क्रय हेतु	संचा. न. प्र. एवं वि. का आदेश क्र. 4062/07-08-09.
		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी. आर. जी. एफ.)	47.06	विद्युतीकरण सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय, पेयजल व्यवस्था, बी. पी. एल. परिवार आवास, स्वीपर आवास आदि कार्य.	जिला पंचायत महासमुंद 6546/17-08-09.
		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी. आर. जी. एफ.)	34.35	सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय सफाईकर्मि आवास पेयजल पानी टंकी निर्माण नलकूप खनन तथा पाईपलाईन विस्तार तथा रूफ सिटम.	जिला पंचायत महासमुंद 310/18-01-10.
5.	न. पं. पिथौरा	12वें वित्त आयोग	10.00	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत विभिन्न संचा. न. प्र. एवं वि. का आदेश सामग्री क्रय करने एवं ट्रेचिंग ग्राउण्ड हेतु. क्र. 2819/11-06-09.	
		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी. आर. जी. एफ.)	17.68	बाल मंदिर शाला भवन निर्माण कार्य तथा विद्युत पोल विस्तार कार्य.	जिला पंचायत महासमुंद 6546/17-08-09.
		12वें वित्त आयोग	0.50	कम्प्यूटर क्रय हेतु	संचा. का आदेश क्र. 5602 दि. 26-10-09.
		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी. आर. जी. एफ.)	13.05	सफाई कर्मचारी का आवास निर्माण, आंतरित सड़क एवं नाली निर्माण कार्य, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, पेयजल पाईप लाईन विस्तार तथा नलकूप खनन कार्य.	जिला पंचायत महासमुंद 310/18-01-10.
6.	न. पं. बसना	12वें वित्त आयोग	10.00	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत विभिन्न संचा. का आदेश सामग्री क्रय करने एवं ट्रेचिंग ग्राउण्ड हेतु. क्र. 2819 दि. 11-06-09.	
		12वें वित्त आयोग	0.50	कम्प्यूटर क्रय हेतु	संचा. का आदेश क्र. 2819 दि. 11-06-09.
		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी. आर. जी. एफ.)	29.39	तालाब गहरीकरण, मुक्तिधाम अहाता निर्माण, सार्वजनिक शौचालय मूत्रालय निर्माण.	जिला पंचायत महासमुंद 6546/17-08-09.
		पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी. आर. जी. एफ.)	21.29	स्टेडियम अहाता निर्माण, तालाब में पचरी निर्माण, पाईपलाईन विस्तार एवं वाटर हार्वेस्टिंग.	जिला पंचायत महासमुंद 310/18-01-10.

परिशिष्ट “अट्टारह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 223) की जानकारी]

विकासखण्ड-बेरला एवं बेमेतरा के अन्नपूर्णा योजना के हितग्राहियों की ग्रामवार जानकारी

क्र. (1)	विकासखंड का नाम (2)	गांव का नाम (3)	हितग्राहियों की संख्या (4)
1.	बेरला	बेरला	4
2.	—,—	रेव	2
3.	—,—	मंगलोर	1
4.	—,—	सिंवार	1
5.	—,—	नवागांव	1
6.	—,—	भाठासोरही	1
7.	—,—	लावातरा	3
8.	—,—	भिलौरी	1
9.	—,—	लेंजवार	3
10.	—,—	तारालिम	2
11.	—,—	खर्वा	4
12.	—,—	कुम्ही	2
13.	—,—	भटगांव	3
14.	—,—	सिंगदेही	1
15.	—,—	रांको	4
16.	—,—	रेवेली	2
17.	—,—	तिरैया	2
18.	—,—	कठिया	2
19.	—,—	खम्हरिया	1
20.	—,—	टेमरी	1
21.	—,—	किरीतपुर	2
22.	—,—	अछोली	3
23.	—,—	सहगांव	1
24.	—,—	पाहंदा	3
25.	—,—	बारगांव	2
26.	—,—	मटिया	1
27.	—,—	कोसपताल	1
28.	—,—	जमघट	1
29.	—,—	मुडपारखुर्द	1
30.	—,—	तेलगा	3
31.	—,—	कुसमी	4
32.	—,—	बहेरा	2
33.	—,—	बोरिया	1
34.	—,—	तिलई	1
35.	—,—	सांकरा	2
36.	—,—	देवादा	4
37.	—,—	सुरहोली	2
38.	—,—	खुडमुडा	2
39.	—,—	नवागांव	1
40.	—,—	ढाबा	3
41.	—,—	खुडमुडी	2

(1)	(2)	(3)	(4)
42.	बेरला	देवसरा	1
43.	—,,—	भिभौरी	4
44.	—,,—	अकोली	2
45.	—,,—	गोडगिरी	1
46.	—,,—	बोहारडीह	1
47.	—,,—	उफरा	2
48.	—,,—	पिरदा	2
49.	—,,—	बोरसी	3
50.	—,,—	कंडरका	2
51.	—,,—	बेरलाकला	2
52.	—,,—	भालेसर	2
53.	—,,—	पतारो	1
54.	—,,—	सिलघट	1
55.	—,,—	ताकम	1
56.	—,,—	पथरपूंजी	1
57.	—,,—	नेवनारा	1
58.	—,,—	सुरजपुरा	6
59.	—,,—	केशडबरी	2
60.	—,,—	बोतका	1
61.	—,,—	देबरबीजा	4
62.	—,,—	घोटमर्गा	1
63.	—,,—	खम्हरिया	1
64.	—,,—	चोटमर्गा	2
65.	—,,—	सिंघौरी	3
66.	—,,—	भेडनी	3
67.	—,,—	डडजीर	1
68.	—,,—	सण्डी	2
69.	—,,—	बहिंगा	1
70.	—,,—	बहेरघट	1
71.	—,,—	सलधा	1
72.	—,,—	मजगांव	1
73.	—,,—	मनियारी	1
74.	—,,—	खम्हरिया	1
75.	—,,—	मोहाभाठा	2
76.	—,,—	कोदवा	3
77.	—,,—	खिसोरा	2
78.	—,,—	नारधी	1
79.	—,,—	कुम्हीगुडा	2
80.	—,,—	डंगनिया-ख	1
81.	—,,—	परपोडा	2
82.	—,,—	चण्डी	1
83.	—,,—	करेली	2
84.	—,,—	घटियाकला	2
85.	—,,—	कोहडिया	2
86.	—,,—	गुधेली	5
87.	—,,—	सोढ़	4
88.	—,,—	टकसींवा	3

(1)	(2)	(3)	(4)
89.	बेरला	सुरजपुरा	2
90.	—,,—	सरदा	2
91.	—,,—	आनंदगांव	1
92.	—,,—	बांसा	2
93.	—,,—	सिलघट	1
94.	—,,—	कुम्ही	1
95.	—,,—	हसदा	4
96.	बेमेतरा	कन्तेल	1
97.	—,,—	जेवरा	1
98.	—,,—	मोहतरा-बाबा	2
99.	—,,—	पीपरभट्टा	2
100.	—,,—	तेंदूभाठा	1
101.	—,,—	जेवरी	1
102.	—,,—	गांगपुर	2
103.	—,,—	भोइनाभाठा	1
104.	—,,—	उधरा	1
105.	—,,—	बैजलपुर	2
106.	—,,—	खिलोरा	1
107.	—,,—	कुसमी	4
108.	—,,—	बसनी	2
109.	—,,—	बहेरा कारे	2
110.	—,,—	लोलेसरा	3
111.	—,,—	मटका	1

परिशिष्ट “उन्नीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 340) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

रायगढ़ तथा कोरबा में परिवेशीय वायु में प्रदूषण स्तर एवं उपस्थित प्रदूषक तत्वों की जानकारी

जिले का नाम	स्थल	वर्ष	रेस्पाइरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (माइक्रोग्राम/घनमीटर)	सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (माइक्रोग्राम/घनमीटर)	सल्फर डाई आक्साइड (माइक्रोग्राम/घनमीटर)	नाइट्रोजन डाई आक्साइड (माइक्रोग्राम/घनमीटर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायगढ़	ओ.पी. जिंदल औद्योगिक पार्क, पूंजीपथरा	2010	-	280.00-376.88	-	-
	अर्द्धशहरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, बोईरदादर	2010	-	218.00-465.77	-	-
	क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल भवन	2010	-	188.00-191.00	-	-
कोरबा	प्रगति नगर, जम्नीपाली	2010	81.67-113.83	173.83-238.00	10.73-14.38	18.27-22.38
	आई.टी.आई., रामपुर	2010	101.67-144.47	195.67-299.00	12.10-15.40	19.72-23.80
	तहसील कार्यालय के पास, रामपुर	2010	105.00-132.50	212.33-279.83	11.82-15.13	19.30-23.38

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		कैल्सियम हार्डनेस	मि.ग्रा./लि.	41.0-71.0	48.0-100.0	38.0-68.0
		मैग्निशियम हार्डनेस	मि.ग्रा./लि.	19.0-39.0	22.0-42.0	18.0-38.0
		कैल्सियम	मि.ग्रा./लि.	16.4-28.4	19.2-40.0	15.2-27.2
		मैग्निशियम	मि.ग्रा./लि.	4.6-9.5	5.3-10.2	4.3-9.2

जिले का नाम	वर्ष	पैरामीटर्स	यूनिट	जल नमूनों का विवरण	
				हसदेव बराज, दर्री के समीप	उरगा ग्राम के समीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पैरामीटर्स	यूनिट	हसदेव नदी	हसदेव नदी

कोरबा	2010	तापमान	डिग्री सेंटिग्रेड	26.0-28.3	26.2-28.8
		एपीयरेंस	-	स्वच्छ	स्वच्छ
		ऑडर	श्रेसोल्ड नं.	गंधहीन	गंधहीन
		पी. एच	पी. एच यूनिट	7.1-7.1	7.0-7.1
		टर्बिडिटी	एनटीयू	-	-
		स्पेसिफिक कंडक्टिविटी	माइक्रो मोस	-	-
		टोटल सॉलिड्स	मि.ग्रा./लि.	264.0-269.0	307.0-434.0
		डिसाल्वड सॉलिड्स	मि.ग्रा./लि.	219.0-223.0	242.0-337.0
		सस्पेंडेड सॉलिड्स	मि.ग्रा./लि.	43.0-47.0	52.0-65.0
		अमोनिकल नाइट्रोजन	मि.ग्रा./लि.	1.4-1.8	1.6-1.9
		नाइट्रेट नाइट्रोजन	मि.ग्रा./लि.	1.4-1.8	1.5-2.0
		नाइट्राइट नाइट्रोजन	मि.ग्रा./लि.	0.06-0.08	0.07-0.09
		फॉस्फेट	मि.ग्रा./लि.	1.4-1.7	1.6-1.9
		क्लोराईड	मि.ग्रा./लि.	20.4-22.9	23.9-27.4
		सल्फेट	मि.ग्रा./लि.	52.0-56.0	56.0-62.0
		कोलीफार्म	एमपीएन/100 मि.लि.	-	-
		डिसाल्वड आक्सीजन	मि.ग्रा./लि.	6.0-6.5	5.3-5.9
		बी.ओ.डी (3 दिन 27 डिग्री सेंटिग्रेड)	मि.ग्रा./लि.	2.0-3.3	3.0-4.1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		सी.ओ.डी.	मि.ग्रा./लि.	30.0-38.0	40.0-48.0
		टोटल एलकैलिनिटी	मि.ग्रा./लि.	54.0-57.0	54.0-76.0
		टोटल हार्डनेस	मि.ग्रा./लि.	60.0-65.0	60.0-72.0
		कैल्सियम हार्डनेस	मि.ग्रा./लि.	39.0-46-0	30.0-50.0
		मैग्निशियम हार्डनेस	मि.ग्रा./लि.	18.0-26.0	22.0-30.0
		कैल्सियम	मि.ग्रा./लि.	-	-
		मैग्निशियम	मि.ग्रा./लि.	-	-

प्रपत्र “स”

रायगढ़ एवं कोरबा में परिवेशीय ध्वनि स्तर की जानकारी

जिले का नाम (1)	स्थल (2)	वर्ष (3)	परिवेशीय वायु में ध्वनि स्तर (डेसीबल “ए”) (4)
रायगढ़	क्षेत्रीय कार्यालय, छ. ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल के समीप	2009	37.4-58.2
	जे. एम. जे. मार्निंग स्टार हास्पिटल के समीप	2009	42.4-70.3
	किरोड़ीमल शासकीय जिला चिकित्सालय के समीप	2009	58.3-82.5
कोरबा	दर्री, जमनीपाली	2010	39.6-64.2
	ट्रांसपोर्ट नगर	2010	48.4-70.4

परिशिष्ट “बीस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 341) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

दिनांक 30-06-2010 की स्थिति में गरीब परिवारों को जारी प्रचलित राशनकार्डों की जिलेवार जानकारी

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	प्रचलित राशनकार्डों की संख्या (3)
1.	कवर्धा	124031
2.	कांकेर	105195
3.	कोरबा	160130
4.	कोरिया	89519
5.	जशपुर	104715
6.	जांजगीर-चांपा	229608
7.	दंतेवाड़ा	92699
8.	दुर्ग	431480
9.	धमतरी	98967
10.	नारायणपुर	21186
11.	बस्तर	230359
12.	बिलासपुर	399885
13.	बीजापुर	46642
14.	महासमुंद	170613
15.	राजनांदगांव	195596
16.	रायगढ़	207097
17.	रायपुर	524649
18.	सरगुजा	369386
योग		3601757

प्रपत्र "ब"

01 अप्रैल 2009 से दिनांक 30-06-2010 तक डिलिट किये गये राशनकार्डों की जिलेवार जानकारी

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	डिलिट किये गये राशनकार्डों की संख्या (3)
1.	कवर्धा	3112
2.	कांकेर	7089
3.	कोरबा	6980
4.	कोरिया	4367
5.	जशपुर	1528
6.	जांजगीर-चांपा	8950
7.	दंतेवाड़ा	4968
8.	दुर्ग	43344
9.	धमतरी	2780
10.	नारायणपुर	667
11.	बस्तर	9837
12.	बिलासपुर	13930
13.	बीजापुर	4031
14.	महासमुंद	4983
15.	राजनांदगांव	4939
16.	रायगढ़	12657
17.	रायपुर	19532
18.	सरगुजा	25657
योग		179351

प्रपत्र "स"

प्रचलित राशनकार्डों के प्रकार एवं तथा उन्हें वर्तमान में प्रतिमाह प्रदायित खाद्यान्न की मात्रा

क्र.	राशन कार्ड का प्रकार	प्रतिमाह प्रदायित खाद्यान्न की मात्रा (प्रति राशन कार्ड)
(1)	(2)	(3)
1.	बी. पी. एल. (पीला)	35 किलो खाद्यान्न
2.	अन्त्योदय (लाल)	35 किलो खाद्यान्न
3.	अन्नपूर्णा (बैंगनी)	10 किलो खाद्यान्न
4.	35 किलो. केसरिया	35 किलो खाद्यान्न
5.	10 किलो. केसरिया	10 किलो खाद्यान्न
6.	स्लेटी	35 किलो खाद्यान्न
7.	निःशक्तजन (हरा)	10 किलो खाद्यान्न
8.	ए. पी. एल.	35 किलो खाद्यान्न

परिशिष्ट “इक्कीस”
[अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 406) की जानकारी]

नगर पंचायत खरौद

स. क्र.	मद का नाम	प्राप्त राशि (रु. लाखों में)	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)

वर्ष 2008-2009

1.	समग्र विकास	2.50	22-07-08
2.	समग्र विकास	22.50	29-07-08
3.	पार्षद निधि	9.50	14-08-08
4.	सामुदायिक भवन	5.00	21-08-08
5.	हाट बाजार	20.00	12-12-08
6.	पेयजल संकट	5.00	26-02-09
7.	समग्र विकास	25.00	02-03-09
8.	समग्र विकास	25.00	09-03-09
9.	समग्र विकास	3.78	27-03-09
10.	समग्र विकास	0.94	27-03-09
11.	सांस्कृतिक भवन	12.50	28-03-09

वर्ष 2009-2010

1.	12वां वित्त आयोग	10.00	11-06-09
2.	पार्षद निधि	9.50	17-06-09
3.	मूलभूत सुविधा	25.00	17-06-09
4.	समग्र विकास	20.28	01-07-09
5.	जल प्रदाय	5.90	15-02-10

वर्ष 2010-2011 (30 जून 2010 तक)

1.	पार्षद निधि	7.50	04-06-10
----	-------------	------	----------

नगर पंचायत शिवरीनारायण

वर्ष 2008-09

1.	गौरव पथ निर्माण	24.98	08-04-08
	समग्र विकास (प्रथम किश्त)	25.00	03-05-08
	स्वागत द्वार	10.89	12-05-08
	हाटबाजार	10.00	12-08-2008
	समग्र विकास (द्वितीय किश्त)	22.50	12-08-2008
	सांस्कृतिक भवन	12.50	12-08-2008
	पार्षद निधि	9.50	19-08-08
	ज्ञानस्थली	3.50	25-09-2008
	प्रतिक्षा बस स्टैण्ड	6.00	25-09-2008
	सरोवर धरोहर योजना	5.34	25-09-2008
	समग्र विकास (तृतीय किश्त)	25.00	22-10-08
	पेयजल संकट	5.00	05-03-09
	समग्र विकास	2.50	12-03-09

(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ष 2009-2010			
2.	कार्यालय भवन निर्माण (प्रथम किश्त)	10.00	03-07-2009
	अधोसंरचना विकास	25.00	03-07-2009
	12वें वित्त आयोग	10.00	03-07-2009
	ज्ञानस्थली	3.50	24-07-2009
	हाटबाजार	10.00	24-07-2009
	सांस्कृतिक भवन	12.50	24-07-2009
	पार्षद निधि	9.50	14-08-09
	कार्यालय भवन निर्माण (द्वितीय किश्त)	10.00	17-03-10
वर्ष 2010-11 (30 जून 2010 तक)			
3.	पार्षद निधि	7.50	04-06-2010
नगर पंचायत राहौद वित्तीय वर्ष 2008-09			
1.	अधोसंरचना विकास	10.00	13-10-2008
2.	अधोसंरचना विकास द्वितीय किश्त	10.00	13-01-2009
3.	जल कष्ट निवारण	5.00	12-03-2009
वित्तीय वर्ष 2009-10			
1.	कार्यालय भवन निर्माण प्रथम किश्त	10.00	01-06-2009
2.	अधोसंरचना मूलभूत सुविधा	25.00	17-06-2009
3.	12वें वित्त आयोग टोस अपशिष्ट प्रबंधन	10.00	06-08-2009
4.	जल कष्ट निवारण	4.00	15-02-2010
वित्तीय वर्ष 2010-11 में 30 जून 2010 तक			
1.	पार्षद निधि	7.50	01-05-2010
2.	कार्यालय भवन निर्माण द्वितीय किश्त	10.00	08-06-2010

परिशिष्ट “बाईस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 522) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष 2009-10

विकासखण्ड-अम्बागढ़ चौकी

क्र. (1)	हितग्राही का नाम (2)	ग्राम (3)	उद्योग का नाम (4)	अनुदान राशि (5)
1.	श्री कवलप्रसाद मेश्राम पिता श्रीराम मेश्राम	तोयागोंदी	सिलाई	13500.00
2.	श्रीमति लताबाई पति श्री रामेश्वर	तोयागोंदी	सिलाई	13500.00
3.	श्री मिलापसिंह पिता श्री झाड़ूराम	होड़ीटोला	सिलाई	13500.00
4.	श्री हीरालाल पिता श्री रामाधीन	होड़ीटोला	सिलाई	13500.00
5.	श्रीमति इन्द्राबाई पति श्री इन्द्रपाल	कहाड़कसा	मनिहारी	13500.00
6.	श्री रामश्वर पिता श्री चमरसिंग कंवर	कहाड़कसा	रेडीमेड	13500.00
7.	श्री थनवार सिंह पिता श्री गिरधारीलाल	राजाटोला	ध्वनियंत्र	13500.00
8.	श्री रोहित कुमार सिन्हा पिता श्री तुलसीराम सिन्हा.	हाथीकन्हार	सिलाई	13500.00
9.	श्री रविन्द्रकुमार पिता श्री बारेलाल	हाथीकन्हार	मनिहारी	13500.00
10.	श्री शिवकुमार पिता श्री रामसाय	हाथीकन्हार	सायकल रिपेयरिंग	13500.00
11.	श्री दिगम्बर पिता श्री माखनलाल	मोंगरा	साऊंड सर्विस	13500.00
12.	श्री तुलसीराम पिता श्री सुबेदार नेताम	केवटीटोला	सिलाई	13500.00
13.	श्री गोपालराम पिता श्री बुधराम	केवटीटोला	वनोपज संग्रह	13500.00
14.	श्री सुखचंद पिता श्री राधेलाल	केवटीटोला	बढ़ई गिरी	13500.00
15.	श्रीमती मेनकाबाई पति श्री कैलाश	केवटीटोला	सिलाई	13500.00
16.	श्री सुरेश मंडावी पिता श्री पलटूराम	केवटीटोला	सिलाई	13500.00
17.	श्री कन्हैयालाल पिता श्री गेंदूराम	केवटीटोला	बढ़ई	13500.00
18.	श्री नागेश पिता श्री गेंदूलाल	केवटीटोला	टेंटहाऊस	13500.00
19.	श्री किरण रामटेके पिता श्री रतिराम रामटेके	धानापायली	सिलाई	13500.00
20.	कु. सीमा पिता श्री नरेन्द्र कुमार	तोयागोंदी	मनिहारी	13500.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.	श्रीमति देवकीबाई पति श्री मंहगूराम	तोयागोंदी	कुम्हारी	13500.00
22.	श्री कमलेश्वर पिता श्री लखनलाल	तिरपेमेटा	मनिहारी	13500.00
23.	श्रीमति शकुन पति श्री पंचलाल	तोयागोंदी	कुम्हारी	13500.00
24.	श्री कंवलसिंह पिता श्री छोटेलाल	तिरपेमेटा	मनिहारी	13500.00
25.	श्री रमेश कुमार पिता श्री जंगलिया	आमाटोला	कुम्हारी	13500.00
26.	श्री ताराचंद पिता श्री गोमा	आमाटोला	कुम्हारी	13500.00
27.	श्रीमति अंजना पति श्री बिलेश्वर	सिंघाभेड़ी	कुम्हारी	13500.00
28.	श्री बंशीलाल पिता श्री फत्तु मांडेकर	जोरातराई	जूता चप्पल मरम्मत	13500.00
29.	श्री शिवकुमार पिता लालदास कुम्बले	जोरातराई	जूता चप्पल मरम्मत	13500.00
30.	श्री फुलदास पिता श्री सुकालुराम कठारे	भरीटोला	ग्रामीण बैण्डपार्टी	13500.00
31.	श्री हुकुमदास पिता श्री लाभादास	भरीटोला	ग्रामीण बैण्डपार्टी	13500.00
32.	श्री होमनलाल पिता श्री मानुराम	भरीटोला	ग्रामीण बैण्डपार्टी	13500.00
33.	श्री राजेन्द्र कुमार पिता श्री उदेसिंग तरजुले	कोटरा	ग्रामीण बैण्डपार्टी	13500.00
34.	श्री उमेश कुमार पिता श्री अमरदास	कोटरा	ग्रामीण बैण्डपार्टी	13500.00
35.	श्री दयाराम पिता श्री हगरूराम	कोटरा	ग्रामीण बैण्डपार्टी	13500.00
36.	श्री दीलिप पिता श्री वासुदेव उने	कोटरा	ग्रामीण बैण्डपार्टी	13500.00
37.	श्री परसराम पिता श्री रामप्रसाद	चिखली	ग्रामीण बैण्डपार्टी	13500.00
38.	श्री जगमोहन पिता श्री गुहाराम भैसारे	चिखली	होजियारी	13500.00
39.	श्री चन्द्रकुमार पिता श्री झाडूराम भैसारे	जारातराई	होजियारी	13500.00
40.	श्री हंसकुमार पिता श्री शंकरलाल	जोरातराई	सिलाई	13500.00
41.	श्री धर्मेन्द्र पिता श्री सुन्दरलाल	जोरातराई	सिलाई	13500.00
42.	श्री मुकेश पिता श्री जगदीश	जोरातराई	सिलाई	13500.00
43.	श्री कमल पिता श्री बाबूलाल	जोरातराई	सिलाई	13500.00
44.	श्री लक्ष्मीनारायण पिता श्री धरमू	जोरातराई	सिलाई	13500.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45.	श्री विनोद पिता श्री अगरचंद	बांधाबाजार	ग्रामीण बैण्डपार्टी	13500.00
46.	श्री अशोक पिता श्री भीमराव	बांधाबाजार	ग्रामीण बैण्डपार्टी	13500.00
47.	श्री किशोर पिता श्री मनराखन	बांधाबाजार	सिलाई	13500.00
48.	श्री रोहित पिता श्री पल्टन	बांधाबाजार	सिलाई	13500.00
49.	श्री नंदकुमार पिता श्री बोहरलाल	बांधाबाजार	इलेक्ट्रानिक मरम्मत	13500.00
50.	श्री सुरेश पिता श्री दयाराम सिन्हा	आमाटोला	बढ़ई गिरी	13500.00
51.	श्री दिलबहार पिता श्री चैतराम सिन्हा	आमाटोला	बढ़ई गिरी	13500.00
52.	श्री विक्रम पिता श्री मयाराम साहू	बिटाल	सिलाई	13500.00
53.	श्री त्रिवेणी पिता श्री मुकुंदराव	बिटाल	सिलाई	13500.00
54.	श्री मिलन पिता श्री जंगली धनकर	बिटाल	सिलाई	13500.00
55.	श्री लोमेश कुमार पिता श्री परदेशी साहू	बिटाल	रेडीमेड	13500.00
56.	श्री पंकजलाल पिता श्री बिशालराम	बिटाल	रेडीमेड	13500.00
57.	श्री करण पिता श्री कीर्तनलाल	राजाटोला	ग्रामीण बैण्डपार्टी	13500.00
58.	श्री चुनेश्वर पिता श्री भानूराम	राजाटोला	ध्वनि विस्तार	13500.00
59.	श्री मंथीर पिता श्री तीरथराम	राजाटोला	ग्रामीण बैण्डपार्टी	13500.00
60.	श्री नरेन्द्र पिता श्री जोगेश्वर	बिटाल	रेडीमंड	13500.00
61.	श्री साधुराम पिता श्री सुकलाल	राजाटोला	ग्रामीण बैण्डपार्टी	13500.00
62.	श्रीमति गीता साहू पति श्री चैनदास	ढाढूटोला	सिलाई	13500.00
63.	श्री सुकालुराम पिता श्री रजनूराम	आमाटोला	मनिहारी	13500.00
64.	श्री रामलाल पिता श्री परशादी	सिंघाभेड़ी	जड़ीबुटी संग्रहण	13500.00
65.	श्री लेखराम पिता श्री धनुषदास	सिंघाभेड़ी	जड़ीबुटी संग्रहण	13500.00
66.	श्री रफीदा बेगन पति श्री अजमेर	हांडीटोला	सिलाई	13500.00
67.	श्रीमति आशाबाई पति श्री गिरधारी	आमाटोला	सिलाई	13500.00
योग				904500.00

विकासखण्ड-छुरिया

क्र. (1)	हितग्राही का नाम (2)	ग्राम (3)	उद्योग का नाम (4)	अनुदान राशि (5)
1.	श्रीमति रेखा भकुर पति श्री राम ठाकुर	पाटेकोहरा	रेडीमेंड उद्योग	13500.00
2.	श्री महेन्द्र लाउत्रे पिता श्री मानसिंह लाउत्रे	पाटेकोहरा	रेडीमेंड उद्योग	13500.00
3.	श्री करणसिंह पिता श्री घसियाराम	झितराटोला	साऊंड सर्विस	13500.00
4.	श्री थानसिंग पिता श्री फूलसिंग	एटमेटा	किराया भंडार	13500.00
5.	श्री जुगनू मंडावी पिता रजनू मंडावी	कल्लूबंजारी	किराया भंडार	13500.00
6.	श्री विजय कुमार पिता श्री श्याम धोबी	हाटबंजारी	डेकोरेशन	13500.00
7.	श्री रोमलाल पिता श्री तुलसी तेली	दुरेबंजारी	बढ़ईगिरी	13500.00
8.	श्री मन्नूलाल यादव पिता श्री त्रिभुवन यादव	रामपुर	राजगिरी	13500.00
9.	श्री चन्द्रकुमार पिता श्री मलखमराम साहू	जंतर	आटो रिपेयर्स	13500.00
10.	श्री ढालचंद साहू पिता श्री महासिंग साहू	कोकपुर	फेब्रिकेशन	35000.00
11.	श्री रमेशलाल पिता श्री कोदूराम	दर्रीबांधा	टेलरिंग	35000.00
			योग	191500.00

परिशिष्ट “तेईस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 532) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

रजिस्ट्रीकृत कालोनाईजर की सूची

क्रमांक (1)	कालोनाईजर का नाम (2)
1.	श्री राघवेन्द्र दास वैष्णव, जुनवानी
2.	श्री आर. एस. मदान, जुनवानी
3.	मेसर्स चौहान हाऊसिंग प्रा. लि. श्री अजय चौहान, जुनवानी
4.	मेसर्स फास्ट्रेक फिनवेस्ट लिमिटेड, 56 ओल्ड नेहरू नगर भिलाई, जुनवानी
5.	मेसर्स लैण्डमार्क डेवलपर्स श्री रवि कुशवाहा, कोहका
6.	अध्यक्ष स्मृति नगर निर्माण सहकारी संस्था, जुनवानी
7.	बिल्टेक इंजि. प्रा. लि. बी.एस.बी. के नंदिनी रोड, जुनवानी खम्हरिया
8.	मेसर्स कम्फर्ट एंड पी. प्रा. लि. महाप्रबंधक श्री राजेश बहादुर रंधावा आ. स्व. एम.पी. लाल कोहका
9.	श्री जसवंत कुमार लूनिया आ. स्व. श्री तनसुख दास लूनिया पार्टनर वेद प्रकाश एंड कंपनी पदमनाभपुर दुर्ग, कुरूद
10.	श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल आ. श्री गोपाल अग्रवाल कोहका भिलाई
11.	श्री संजीस फतेहपुरिया श्री गोपाल जी फतेहपुरिया जुनवानी भिलाई
12.	मेसर्स कुबेर डेवलपर्स प्रा. लि. श्री यशवीर बंसल एवं श्रीमती मीरा बंसल माइल स्टोन कोहका के पास
13.	मेसर्स जे. एंड एस. इन्फास्ट्रक्चर फर्म, पार्टनर श्री विवेक पवार आ. श्री विजय सिंह पवार जुनवानी
14.	बी. एण्ड एस. रियल्टी प्रा. लि. डायरेक्टर श्री एस.एस. बतरा जुनवानी
15.	श्री प्रशांत गोलछा ग्राम कोहका
16.	श्री निवास खेडिया आ. स्व. सावंत दास ग्राम जुनवानी
17.	श्री डेलेश्वर प्रसाद देशमुख आ. श्री बल्दूराम देशमुख ग्राम कोहका
18.	श्री टी. रजनी कुमार आ. श्री स्व. टी. राधाकृष्ण मूर्ति ग्राम जुनवानी
19.	बाफना अर्थ मुवर्स लिमिटेड डायरेक्टर श्री अजय बाफना आ. श्री फूलचंद बाफना ग्राम जुनवानी

प्रपत्र "ब"

छ. ग. नगर पालिक कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें नियम-1998 के तहत 30 जून 1998 तक अनाधिकृत कॉलोनी का नियमितीकरण

क्र. (1)	अवैध कालोनी का नाम (2)	स्थिति (3)	की गई कार्यवाही (4)
1.	मॉडल टाउन जुनवानी	विकसित	छ. ग. नगर पालिक कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्ध तथा शर्तें नियम-1998 के तहत 30 जून 1998 तक अनाधिकृत कॉलोनी का नियमितीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आयुक्त के अनुमोदन अनुसार अवैध कॉलोनियों में विकास शुल्क निर्धारण कर भवन अनुज्ञा प्रदान करने की कार्यवाही की जाती है. अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु छ.ग. नगर पालिका कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें नियम 1998 के तहत विकास शुल्क का निर्धारण किया गया है तथा शुल्क जमा कराने की कार्यवाही प्रचलित है.
2.	दीक्षित कालोनी कोसानगर	—,,—	
3.	गांधी नगर कोहका	—,,—	
4.	अयप्पानगर कोहका	—,,—	
5.	फरीद नगर कोहका	—,,—	
6.	बजरंग पारा कोहका	—,,—	
7.	शिवाजी नगर कोहका	—,,—	
8.	शांति नगर कोहका	—,,—	
9.	टाटालाईन कोहका	—,,—	
10.	राम नगर कोहका	—,,—	
11.	गुरु नानक नगर कोहका	—,,—	
12.	आर्य नगर कोहका	—,,—	
13.	न्यू नेहरू नगर जुनवानी	अर्धविकसित	छ. ग. नगर पालिक कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्ध तथा शर्तें नियम-1998 के तहत 30 जून 1998 तक अनाधिकृत कॉलोनी का नियमितीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आयुक्त के अनुमोदन अनुसार अवैध कॉलोनियों में विकास शुल्क निर्धारण कर भवन अनुज्ञा प्रदान करने की कार्यवाही की जाती है. अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु छ.ग. नगर पालिका कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें नियम 1998 के तहत विकास शुल्क का निर्धारण किया गया है तथा शुल्क जमा कराने की कार्यवाही प्रचलित है.
14.	पुष्पक नगर जुनवानी	—,,—	
15.	त्रिवेणी नगर जुनवानी	—,,—	
16.	चंद्र नगर कोहका	—,,—	
17.	शिवाजीनगर कोहका कुरूद रोड	—,,—	
18.	कुरूद	—,,—	
19.	शिक्षक नगर कोहका	—,,—	
20.	नवीन गृह निर्माण कोहका	—,,—	
21.	अम्बेडकर नगर कोहका	—,,—	
22.	बाबादीप सिंह नगर कोहका	—,,—	
23.	कैलाश नगर कुरूद	—,,—	
24.	उल्लास नगर कोहका	—,,—	
25.	साकेत नगर कोहका	—,,—	
26.	मैत्री विहार कोहका	—,,—	
27.	विवेकानंद नगर कोहका	—,,—	
28.	आनंद विहार कोहका	अविकसित	छ. ग. नगर पालिक कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्ध तथा शर्तें नियम-1998 के तहत 30 जून 1998 तक अनाधिकृत कॉलोनी का नियमितीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आयुक्त के अनुमोदन अनुसार अवैध कॉलोनियों में विकास शुल्क निर्धारण कर भवन अनुज्ञा प्रदान करने की कार्यवाही की जाती है. अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु छ.ग. नगर पालिका कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें नियम 1998 के तहत विकास शुल्क का निर्धारण किया गया है तथा शुल्क जमा कराने की कार्यवाही प्रचलित है.
29.	कोहका	—,,—	
30.	कृपाल नगर कोहका	—,,—	
31.	दुर्गा नगर कोहका	—,,—	
32.	जुनवानी	—,,—	
33.	न्यू आनंद नगर जुनवानी	—,,—	

(1)	(2)	(3)	(4)
34.	कोहका भेलवा तालाब श्री डी.पी.साहू, 48/जे रिसाली भिलाई, ख. क्र. 76/1, 4762 नया.	अवैध कालोनी	नोटिस क्रमांक 852 दि. 17-5-10 जारी
35.	कोहका भेलवा तालाब श्रीमती संगीता रामटेके मो. नं. 9425558913 ख. क्र. 76/1, 4762 नया.	—,,—	नोटिस क्रमांक 853 दि. 17-5-10 जारी
36.	कोहका भेलवा तालाब श्री सतीश कुमार भल्ला मो. नं. 9827483717 ख. क्र. 76/1, 4762 नया.	—,,—	नोटिस क्रमांक 854 दि. 17-5-10 जारी
37.	कोहका भेलवा तालाब श्री बी.आर. देशमुख ख. नं. 76/1, 4762 नया.	—,,—	नोटिस क्रमांक 856 दि. 17-5-10 जारी
38.	कोहका भेलवा तालाब श्री जय चन्द्र जैन मो. नं. 9329013065, 9301317211 4762 नया खसरा क्र. 76/1, 4762 नया.	—,,— —,,—	नोटिस क्रमांक 855 दि. 17-5-10 जारी नोटिस क्रमांक 855 दि. 17-5-10 जारी
39.	आनंद पुरम कोहका श्री रविन्द्र कुशवाहा	—,,—	नोटिस क्रमांक 1135 दि. 2-6-10 जारी. छ. ग. नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 307/2 के तहत सूचना जारी किया गया है.
40.	कोहका श्री डेलेश्वर देशमुख खसरा क्र. 56/2.	—,,—	अनुमति लिये बगैर स्थल पर विकास कार्य किये जाने के कारण बाउन्डीवाल गेट नाली को तोड़ा गया. नोटिस क्रमांक 1136 दि. 2-6-10 जारी किया.

परिशिष्ट “चौबीस”
[अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 548) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	विकासखण्ड	वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10	
		इकाई संख्या	रोजगार	इकाई संख्या	रोजगार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जगदलपुर	47	133	30	269
2.	बस्तर	33	91	113	259
3.	बकावंड	48	99	35	95
4.	लोहांडीगुड़ा	2	4	4	8
5.	तोकापाल	4	16	9	18
6.	दरभा	0	0	2	4
7.	बास्तानार	1	2	0	0
8.	केशकाल	3	12	6	12
9.	माकड़ी	8	16	1	2
10.	बड़ेराजपुर	2	4	8	16
11.	फरसगांव	1	2	0	0
12.	कोण्डागांव	8	16	2	4
योग		157	395	210	687